P-24024/53/2020-IPR-V
282185/2021/IPR-V

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012021-224127
CG-DL-E-02012021-224127

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
No. 682] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.819(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम में निदेशक के पद के लिए निम्नलिखित नियम, विनियम, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें बनाती ह, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 ह ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं -** (1) - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ‘अधिनियम’ से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत ह ;

(ख) ‘अध्यक्ष’ से संस्थान की शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत ह ;

(ग) 'निदेशक' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत ह ;

(घ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम अभिप्रेत ह ;

(ङ) 'चयन समिति' से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के लिए गठित चयन समिति अभिप्रेत ह ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया ह, परंतु राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 में परिभाषित किया गया ह, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. **निदेशक की नियुक्ति के लिए शक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि--** कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसके पास -

(क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या डिजाइन में मास्टर डिग्री नहीं ह ;

(ख) उसके पास अध्यापन या उद्योग या अनुसंधान में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

(ग) उसके पास प्रौद्योगिकी या डिजाइन के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अभिज्ञता में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सिद्ध अभिलेख होना चाहिए ।

4. **नियुक्ति की पद्धति--** (1) निदेशक के पद पर भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी ।

(2) चयन समिति निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए इसकी अपनी प्रकिया का अनुसरण करेगी ।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित ह, विवाह किया ह ; या

ख. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय ह और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय ह कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन ह, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **पदावधि-** निदेशक उस तारीख से, जब वह पद ग्रहण करता ह, पांच वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

8. **पद त्याग और समाप्ति-** (1) निदेशक यदि अपना पद त्यागना चाहता ह तो अध्यक्ष को लिखित रूप में तीन मास पूर्व नोटिस देगा :

परंतु जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्र पद त्याग अनुज्ञात नहीं किया जाता ह, तब तक निदेशक नोटिस की अवधि के अवसान तक या सम्यक् रूप से नियुक्त उसका प्राधिकारी पद ग्रहण नहीं करता ह या उसकी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

2) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को निदेशक के पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया घोषित किया गया ह ; या

(ख) उसे किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया ह, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित ह ; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से निदेशक के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हों, जो निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ; या

(ड.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया ह, जिससे कि उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया ह, या

(च) कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर :

परंतु निदेशक को उसके पद से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी समिति द्वारा जांच करवाए बिना खंड (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं हटाया जाएगा ।

9. **मुख्यालय या तनाती का स्थान –** निदेशक का मुख्यालय जोरहाट, असम में होगा ।

10. **निदेशक का वेतन, भत्ते, इत्यादि-** निदेशक का वेतन, वेतन-मैट्रिक्स (1,44,200-2,18,200 रुपए) के वेतन-स्तर 14 में निर्धारित की जाएगा और वह ऐसे भत्तों व अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करेगा, जो भारत सरकार के समकक्ष रैंक के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हः

परन्तु यदि निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृति प्रसुविधाएं या सेवानिवृति प्रसुविधाओं के अन्य रूप, प्राप्त करता ह या प्राप्त कर चुका ह या प्राप्त करने का हकदार बना ह तो ऐसे निदेशक के वेतन मे से पेशंन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय या सेवानिवृति प्रसुविधाओं का कोई अन्य रूप, यदि कोई (उपदान के समान पेशंन के सिवाय) उसके द्वारा आहृत किया गया ह या आहृत किया जाना ह, घटाया जाएगाः

परन्तु यह और कि निदेशक की नियुक्ति के पश्चात न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसके अहितकर रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

11. **यात्रा भत्ता-** निदेशक, प्रवास पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अंतर्गत संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या संस्थान में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर प्रस्थान करने के लिए) यात्रा भत्ते इत्यादि का वैसे ही हकदार होगा, जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू होते हैं ।

12. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी-** अध्यक्ष, निदेशक की छुट्टी मजूंर करने वाला प्राधिकारी होगा ।

13. **विदेश में सरकारी यात्राएं-** निदेशक द्वारा विदेश में सरकारी यात्राएं केवल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी, और वह ऐसी यात्रा के संबंध में ऐसे भत्ते, ऐसी दरों पर आहृत करने का हकदार होगा जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू हैं ।

14. **चिकित्सा उपचार हेतु सुविधाएं-** निदेशक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रचालन में नहीं ह, वहां निदेशक केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम,1954 में यथाउपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा ।

15. **आवास-** निदेशक केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथालागू निवासी आवास का हकदार होगा ।

16. **वाहन की सुविधा-** निदेशक, भारत सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय वाहन सुविधा का हकदार होगा ।

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V]

रविंद्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 819 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 18 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014)the Central Government hereby makes the following rules, regulating, the method of recruitment, salary, allowances, and other conditions of service for the post of Director in National Institute of Design, Assam, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Director, National Institute of Design, Assam (Recruitment, Salary, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Chairman' means the Chairman of the Governing Council of the Institute;

(c) 'Director' means the Director of the Institute;

(d) 'Institute' means the National Institute of Design, Assam;

(e) 'Selection Committee' means a selection committee constituted for the Institute, by the Central Government under sub-section (2) of section 18 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the National Institute of Design Act, 2014 shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Educational qualifications, experience etc. for appointment of Director.-**A person shall not be appointed as Director, unless he,-

(a) has Masters Degree in Engineering or Technology or Design;

(b) should have minimum of fifteen years' experience in teaching or Industry or Research;

(c) should have proven record of significant contributions made in the field of Technology or design with national or international exposure.

4. **Method of Appointment.–** (1) Recruitment to the post of Director shall be made by a Selection Committee constituted by the Central Government.

(2) The Selection Committee shall follow its own procedure for recommending a suitable person for the post of Director.

5. Disqualification.- No person,-

(a)who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the competent authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Term of office.–** The Director shall hold the office for a term of five years from the date on which he enters upon office or attains the age of sixty years whichever is earlier.

8. **Resignation and termination.–** (1) The Director shall give three months' prior notice in writing to the Chairman, if he intends to resign from the post:

Provided that the Director shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish the post sooner, continue to hold the post until the expiry of the period of notice or until the time a person duly appointed as his successor joins or until the expiry of his term, whichever is earlier.

(2) The Central Government may, remove a person from the post of Director,–

(a) who has been adjudged an insolvent; or

(b) who has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) who has become physically or mentally incapable of acting as Director; or

(d) who has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Director; or

(e) who has so abused his position as to render his continuance in the post prejudicial to the public interest, or

(f) on ground of misconduct, misbehavior or incapacity:

Provided that the Director shall not be removed on any of the grounds specified in clauses (b) to (f) without giving him a reasonable opportunity of being heard and holding an enquiry in this regard by a Committee constituted by the Central Government.

9. **Head Quarter or place of posting.–** The headquarter of the Director shall be at Jorhat, Assam.

10. Salary, allowances etc. of the Director.– The Director's pay shall be fixed in level 14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200) plus allowances and other benefits, as are admissible to an Officer of equivalent rank in the Government of India:

Provided that in case a person appointed as a Director, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, the pay of such Director shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Director shall be varied to the disadvantage after his appointment.

11. **Travelling Allowances**.– The Director, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Institute or on the expiry of his term with the Institute to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance etc., as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

12**.** **Leave Sanctioning Authority.–** The Chairman shall be the leave sanctioning authority of Director.

13. Official visits abroad.– Official visits abroad by the Director shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Chairman and with the approval of Central Government, and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits at the same rates as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

14**.** **Facility for medical treatment.–** The Director shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Health Services and in places where Central Health Services are not in operation, Director shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

15. **Accommodation.**– The Director shall be entitled for residential accommodation as applicable to an officer of equal status of the Central Government.

16. **Facility of conveyance.–** The Director shall be entitled for conveyance facilities as admissible to an officer of equal status of the Government of India.

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]

RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसंबर, 2020

सा.का.नि.820(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती ह, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम (लेखाओं का वार्षिक विवरण के प्ररूप) नियम, 2020 ह।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत ह;

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत ह;

(ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत ह;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके अधिनियम में हैं।

3. **उचित लेखाओं और अभिलेखों का रख-रखाव:-**(1) संस्थान अपने लेखाओं और अभिलेखों का वित्तीय विवरण इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में रखेगा।

(2) संस्थान, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके वित्तीय विवरण रखने में केन्द्रीय सरकार के सामान्य निदेशों का पालन करेगा।

4. **संस्थान के लेखाओं का वार्षिक विवरण तयार और सुपुर्द करना:-** (1) संस्थान अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र वित्तीय परिणाम दर्शित करते हुए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' के अनुसार तैयार करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष, 31 जुलाई के पश्चात नहीं, संस्थान के वार्षिक लेखाओं का विवरण और तुलनपत्र निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और शासी परिषद् द्वारा पारित भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक द्वारा संस्थान के यथा सत्यापित विधिवत् रूप से लेखा-परीक्षित खातों के वार्षिक विवरण सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशक द्वारा अनुगामी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ताकि इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(4) लेखाओं के बहीखाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखे जाएंगे।

5. **भारत सरकार से प्राप्त कोषों का अलग बही खाता-** भारत सरकार से प्राप्त सभी निधियों के लिए संस्थान अलग बही खाता रखेगा और संस्थान ऐसे अनुदान उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेखाओं का बही खाता रखेगा।

प्ररूप 'क'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तुलनपत्र,31 मार्च_______________की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	31.03._______	31.03._______
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजीगत निधि	1.		
मूल्यह्रास निधि:	6.		
निर्धारित धनराशि:	2.		
अनुदान और अभिदान:	3.		
नए एनआईडी के लिए अनुदान	4.		
वर्तमान दायित्व:	5.		
कुल		0	0
संपत्ति			
अचल संपत्ति: (कीमत पर)	6.		
निवेश: (कीमत पर)	7.		
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि .:	8.		
आय और व्यय खाता	9.		
कुल		0	0

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां 17

स्थान:
तारीख:

निदेशक

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31 मार्च को समाप्त के लिए आय और व्यय लेखा _________

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
फीस:	10.		
सेवा प्रभार:	11.		
अनुदान:	12.		
अर्जित ब्याज:	13.		
अन्य आय:			
पूंजीगत निधि से स्थानांतरित मूल्यह्रास की हद तक:	1.		
कुल (क)		0	0
व्यय			
स्थापन व्यय:	14.		
अन्य प्रशासनिक व्यय:	15.		
परियोजनाओं पर खर्च:	11.		
ब्याज / बैंक प्रभार:			
मूल्यह्रास: (संदर्भ टिप्पण संख्या 1ड.)	6.		
विनिर्दिष्ट निधियों को अंतरित रकम:	16.		
कुल (ख)		0	0
घाटा होने के कारण तुलनपत्र को अग्रनीत (क-ख)	9.		

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान: ____________

तारीख: ____________

निदेशक

अनुसूची 1
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

पूंजीगत निधि

ब्यौरे	31.03._______	31.03._______
	रूपए	रूपए
क. पूंजीगत निधि 1-4 ------को अतिशेष		
क. जोड़ें: 1) अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानांतरित अनुदान राशि खाता		
ii) निर्माण खाते के अंतर्गत भवन के लिए विनियोग निधि से स्थानांतरित राशि		
iii) अनावर्ती व्यय के लिए अनुदान से अधिक की लागत से अधिक के कारण आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित राशि।		
ख. कम: संपत्ति पर मूल्यह्रास के विस्तार तक आय और व्यय लेखा में स्थानांतरित पूंजीगत निधियों से अर्जित	0	0
ग. कम: वर्ष के दौरान विक्रीत/त्यकत मशीनरी, उपस्कर और फर्नीचर के मूल्य का समायोजन		
उप-कुल (क)	0	0
• आरक्षित भूमि 1-4 -----------को अतिशेष		
कुल (क + ख)	0	0

निदेशक

अनुसूची 2
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निर्धारित निधियां

क्रम संख्या	निधियों का नाम	तारीख01.04.... को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया ब्याज	अन्य जमा	विकलित रकम	संदर्भ टिप्पण	तारीख31.03-----को अंतिम अतिशेष
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	कुल योग	0	0	0	0	0	0
	पिछला वर्ष						

निदेशक

अनुसूची -3

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय

क्रम संख्या	लेखा नाम	तारीख01.04…. को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया अनुदान	विकलित रकम			संदर्भ टिप्पण	31.03--- को अंतिम अतिशेष
				अनावर्ती व्यय	आय और व्यय लेखा को अंतरित	अन्य विकलित		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए		रूपए
	कुल	0	0	0	0	0		0
	पूर्ववर्ती वर्ष							

निदेशक

अनुसूची – 4

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	लेखा का नाम	31.03---तक जमा अनुदान	31.03---तक उपयोग किए गए अनुदान	01.04--- तक आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान जमा अनुदान	कुल	विकलित रकम			31.03-- को अंतिम अतिशेष
							अनावर्ती व्यय	विनिर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी /एनबीसीसीको अंतरित	अन्य विकलित	
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	राष्ट्रीय डिजाइन नीति के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुदान योजना (अनावर्ती): नए एनआईडी परिसर स्थापित करना एनआईडी (असम)									
	कुल									
	पूर्ववर्ती वर्ष									

निदेशक

अनुसूची-5

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान दायित्व

ब्यौरे	31.03.______	31.03.______
	रूपए	रूपए
1. व्ययों के लिए		
2. किराया और अन्य जमाओं के लिए		
.3 विविध जमा अतिशेष के लिए		
4. जारीपरियोजनाओं के लिए अग्रिम		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-6

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		01.04__को	जोड़	विक्रय / समायोजन	31.03_को	01.04_को	वर्ष के लिए	विक्रय / समायोजन	31.03_को	31.03_को	31.03_को
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
क.	स्थावर सम्पत्तियां										
1.	(I) भूमि										
	1 का उप कुल										
2.	एनआईडी परिसर के भवन										
	(1 + 2) का उप-कुल										
ख.	चल संपत्तियां										
1.	मशीनरी, उपस्कर और औजार										
2.	फर्नीचर और फिक्सचर										
3.	कंप्यूटर और										

	पैरीफरल्स										
4.	स्टाफ पूल यान										
5.	पुस्तकालय पुस्तकें										
	ख के उप कुल										
ग.	जारी पूंजीगत कार्य										
	ग के उप कुल										
	कुल योग										
	पूर्ववर्ती वर्ष										

निदेशक

अनुसूची-7

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निवेश (लागत पर)

ब्यौरे	31.03.___	31.03.____
दीर्घकालिक	रूपए	रूपए
बांड्स के साथ स्थिर जमा		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची -8

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान आस्तियां,ऋण, अग्रिम आदि

ब्यौरे	31.03.____	31.03.____
	रूपए	रूपए
क. वर्तमान आस्तियां: i) संपत्ति सूची: सिविल और पूंजीगत माल (लागत पर)		
ii) नकद अतिशेष		

iii) बैंक अतिशेष क) चालू खाते के साथ		
उप-कुल (क)		
ख) बचत खाते में		
उप-कुल (ख)		
उप-कुल (क) + (ख)		
ग) कॉल / सावधि जमा खाते में		
उप-कुल (ग)		
उप कुल - III (क + ख + ग)		
कुल (I + II + III)		

निदेशक

अनुसूची -8

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान आस्तियां,ऋण, अग्रिम आदि

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां i. ऋण: क. प्रतिभूत		
(क) का उप-कुल		
ख. अप्रतिभूत		
उप-कुल (i)		
ii. अग्रिम:		
उप-कुल (ii)		
उप-कुल (III)		
ख के कुल (I + II + III)		
क + ख का कुल		

अनुसूची-9

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आय और व्यय लेखा

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
01.04 -----को अतिशेष		

कम: एनआईडी के स्वयं के आय का ब्यौरा		
जोड़ें: चालू वर्ष के घाटे (आवर्ती योजना)		
कम: मौजूदा वर्ष के अधिशेष (गैर-योजना आवर्ती)		
घाटे के बाद का अतिशेष		

निदेशक

अनुसूची-10

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

फीस

ब्यौरे	20___-_____	20___-_____
	रूपए	रूपए
कुल		

निदेशक

अनुसूची-11

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

परियोजना से आय प्राप्ति / अनुदान (गैर योजना) और परियोजनाओं से व्यय (गर योजना) 20 ___- 20____

	20___-20____		20___-20____	
ब्यौरे	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए

कुल				

निदेशक

अनुसूची-12

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय से अंतरण

ब्यौरे	20____-_____	20____-_____
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-13

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अर्जित ब्याज

ब्यौरे	20__-__	20__-__
(सीधे निर्धारित धनराशि में जमा के अतिरिक्त)	रूपए	रूपए
क) सावधिक जमा पर		
उप-कुल (क)	0	0
ख) बचत/चालू खाता पर		

ग) ऋणों पर		
उप-कुल (सी)	0	0
क + ख + ग के कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-14

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थापन खर्च

					20__-__	20__-__
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. वेतन, मजदूरी और भत्ते						
2. भविष्य निधि अंशदान						
3 अंशदान योगदान						
4. मेडिकल प्रतिपूर्ति और कर्मचारिवृंद कल्याण						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-15

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

अन्य प्रशासनिक खर्च

					20__-___	20__-___
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना के आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. यात्रा खर्च						
2. टेलीफोन, टेलेक्स, डाक						
.3 बिजली खर्च						

4. रखरखाव: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स						
5. वाहन रखरखाव और ऑपरेशन शुल्क						
6. सामग्री, आपूर्ति उपभोग आदि						
7. सैटेलाइट केन्द्रों के लिए साधारण खर्चे						
8. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय						
9. कल्याण, परिसर में आयोजित इवेंट और अन्य व्यय						
10. पुस्तकालय, पत्रिकाओं, आवधिक, सदस्यता आदि						
11. छात्र फ्रीशिप एवं विकास						
12. शिक्षक, कर्मचारियों मानव संसाधन विकास, अन्य विविध व्यय						
13. दरें, कर, उपकर						
14. मरम्मत और रख रखाव						
15. बीमा						
16. विधिक खर्च और व्यावसायिक फीस						
17. लेखा परीक्षा फीस						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-16

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आरक्षित या विशिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि

ब्यौरे	20__-__	20__-__
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-17

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31मार्च को समाप्तवर्ष के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय खाता अनुसूची _______

लेखा के भागरूप में टिप्पण

1.महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

(क)लेखा कन्वेंशन:

वित्तीय कथन, ऐतिहासिक लागत कंवेंशन के आधार पर तैयार किए गए हैं, जब तक अन्यथा कही गई हो और ब्याज आय और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी के प्रति दायित्व के अलावा उपार्जन पद्धति पर लेखांकन की गई है।

(ख)विनिधान:

(ग)लंबी अवधि के विनिधान लागत पर कथन की गई है।

स्थावर संपत्तियां:

स्थावर संपत्तियां लागत से कथन की गई है। लागत में चालान मूल्य, माल ढुलाई, चुंगी, और अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक व्यय भी शामिल है।

(घ)सरकारी अनुदान:

(i) सरकारी अनुदान सरकारी विभाग से मंजूरी के आधार पर लेखांकित है।

(ii) पूंजीगत व्यय की ओर उपयोग करने के लिए सरकारी अनुदान, पूंजी निधि के लिए स्थानांतरित किए गए हैं।

(iii) राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुदान व्यय की सीमा तक खर्च करने के लिए वर्ष की आय के रूप में माना जाता है।

(iv) उपयोग किए गए अनुदान आगे अग्रेषित होता ह और तुलन पत्र में एक ऋण के रूप में प्रदर्शित होता है.

(ड.)विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित होता है। बैंक बैलेंस विदेशी मुद्रा में धारित आरबीआई दर पर वित्तीय वर्ष के समापन के दिन प्रचलित दर से रुपया में बदल जाती है।

(च)चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम में कम से कम तुलनपत्रमें दिखाया कुल रकम के बराबर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम एक मूल्य है।

(छ)आय-कर:

संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त है। आय-कर के लिए कोई उपबंध इसलिए खातों में नहीं दिया गया है।

(ज)सेवानिवृत्ति / टर्मिनल लाभ

कर्मचारियों के लिए टर्मिनल छुट्टी नकदीकरण लाभ नकदी के आधार पर आधारित है। ग्रेच्युटी आधार बीमांकिक मूल्यांकन पर आय एवं व्यय खाता के लिए शुल्क लिया जाता ह और एक ही एनआईडी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि में योगदान देता है।

2.आकस्मिक देयताएं रुपए __________ (पिछले वर्ष रुपए _____________)

3.पूंजी खाते पर शेष अनुबंध की अनुमानित राशि निष्पादित की जाती ह और रुपये के लिए प्रदान नहीं गई है. ___________ पिछले वर्ष रुपए _______________)

4.वर्ष के लिए घाटा _____________ रुपए के लिए. वर्ष के लिए_________________ _____________ रुपए_______________) विविध खर्चों में डेबिट कर दिया गया ह, क्योंकि उसी वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट सरकार अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई है.

5.पिछले वर्ष के लिए इसी आंकड़े को फिर से पुन:समूहबद्ध / पुन: व्यवस्थित कर दिया गया ह, जहां कहीं आवश्यक है।

6.अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

स्थान: ________________

तारीख: _______________

निदेशक

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V]

रविंद्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020.

G.S.R. 820 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 25 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the National Institute of Design, Assam (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.–** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) ‘Act’ means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Form' means Form annexed to these rules;

(c) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Maintenance of proper accounts and records.**—(1) The Institute shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements annexed to these rules.

(2) The Institute shall follow the general directions by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.

4. **Preparation and submission of annual statement of accounts of the Institute.**– (1) The Institute shall prepare its annual statement of accounts and balance sheet showing the financial results as specified in Form ‘A’ and Form ‘B’ and the Schedules annexed to these rules.

(2) The annual statement of accounts and balance sheet of the Institute, duly authenticated by the Director and passed by the Governing Council shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 31st day of July every year.

(3) The duly audited annual statement of accounts of the Institute as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Director for every financial year to the Central Government by the 30th day of September of the following year for laying before the both Houses of Parliament.

(4) The books of Accounts will be maintained on the basis of double entry book keeping system.

5. **Separate ledger accounts for funds received from the Government of India.**—The Institute shall maintain separate ledger accounts for all funds received from the Government of India and maintain accounts of the Institute regarding proper utilisation of such grants.

Form ‘A’
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, _______________

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	31.03._______	31.03._______
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND:	1		
DEPRECIATION FUND:	6		
EARMARKED FUNDS:	2		
GRANTS AND CONTRIBUTIONS:	3		
GRANTS FOR NEW NIDs	4		
CURRENT LIABILITIES:	5		
TOTAL		0	0
ASSETS			
FIXED ASSETS: (At Cost)	6		

INVESTMENTS: (At Cost)	7		
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.:	8		
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	9		
TOTAL		0	0
For NOTES forming part of Accounts	17		
Place: _____________			
Date: ______________			

Director

Form 'B'
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, _________

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
FEES:	10		
SERVICE CHARGES:	11		
GRANTS:	12		
INTEREST EARNED:	13		
OTHER INCOME:			
TRANSFERRED FROM CAPITAL FUND TO THE EXTENT OF DEPRECIATION:	1		
TOTAL (A)		0	0
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES:	14		
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES:	15		
EXPENSES ON PROJECTS:	11		
INTEREST/BANK CHARGES:			
DEPRECIATION: (Ref. Note no. 1e)	6		

AMOUNT TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS:	16		
TOTAL (B)		0	0
BALANCE BEING DEFICIT CARRIED OVER TO BALANCE SHEET (A-B)	9		

For NOTES forming part of Accounts, see Schedule - 17

Place: _____________
Date: ______________

Director

Schedule–1
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament
Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ________________
CAPITAL FUND

Particulars	31.03._______	31.03._______
	Rs.	Rs.
a. Capital Fund Balance as on 1-4-_________		
a. Add:i) Amount transferred from Central Govt. Grants Account for meeting Non-recurring expenditure		
ii) Amount transferred from Appropriation of fund for Building under construction Account		
iii) Amount transferred from Income & Expenditure A/c. on account of excess of cost over grant for Non-Recurring Expenditure		
b. Less: Transferred to Income & Expenditure Account to the extent of depreciation on assets acquired out of Capital Funds	0	0
c. Less: Adjustment of the value of Machinery, Equipment & Furniture sold/discard during the year.		
Sub-Total (a.)	0	0
b. Land Reserve Balance as on 1-4-_________		
Total (a+b)	0	0

Director

Schedule–2
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament
Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _______________
EARMARKED FUNDS

Sr. No.	Name of funds	Opening balance as on 01.04.____	Interest credited	Other credited	Amount debited	Ref. Note	Closing balance as on 31.03.___

		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Grand total	0	0	0	0	0	0
	Previous year						

Director

Schedule-3
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, ________

GRANTS AND CONTRIBUTIONS

Sr. No.	Name of account	Opening balance as on 01.04.___	Grant credited	Amount debited			Ref. Note	Closing Balance As on 31.03._____
				Non recurring Exps	Transferred to I & E A/c.	Other debited		
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.
	Total	0	0	0	0	0		0
	Previous year							

Director

Schedule-4
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament
Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ________________

Sr. No.	Name of account	Grant credited up to 31.03.____	Grant utilised up to 31.03.____	Opening balance as on 01.04.____	Grant credited during the year	Total	Amount debited			Closing balance As on 31.03.__
							Non-recurring Exps	Transferred to CPWD/NBCC for Const. work	Other debited	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.

	Central Govt. Grant Plan (non-recurring) for implementation of national Design Policy: Setting up of new NID campuses of NID(Assam)									
	Total									
	Previous year									

Director

Schedule-5
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ______________

Current Liabilities

Particulars	31.03.______	31.03.______
	Rs.	Rs.
1. For expenses		
2. For rent & other deposits		
3. For sundry credit balances		
4. For advance for projects in progress		
Total	0	0

Director

Schedule-6
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Fixed Assets

Sr. No.	Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		As on 01.04.____	Addition	Sale/Adjustment	As on 31.03.___	As on 01.04.___	For the Year	Sale/Adjustment	As on 31.03.__	As on 31.03.__	As on 31.03.__
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A	IMMOVABLE PROPERTIES										
1	(i) Land										
	Sub-total of 1										
2	NID campus buildings										

	Sub-total of (1+2)										
B	MOVABLE PROPERTIES										
1	Machinery, equipment& tools										
2	Furniture & fixtures										
3	Computers & peripherals										
4	Staff pool vehicles										
5	Library books										
	Sub-Total of B										
C	Capital works in progress										
	Sub-Total of C										
	Grand Total										
	PREVIOUS YEAR										

Director

Schedule-7
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Investments (At cost)

Particulars	31.03.___	31.03.____
Long Term	Rs.	Rs.
Fixed Deposits with Bonds		
TOTAL	0	0

Director

Schedule-8
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.____	31.03.____
	Rs.	Rs.
A. CURRENT ASSETS: i) INVENTORIES: Civil and Capital Materials (At Cost)		
ii) CASH BALANCES ON HAND		
iii) BANK BALANCES a) In Current account with		
Sub-Total (a)		
b) In Saving account with		
Sub-Total (b)		
Sub-Total (a)+(b)		
c) In Call/Term Deposit account with		
Sub-Total (c)		
Sub-Total – III (a+b+c)		
Total (I+II+III)		

Director

Schedule-8

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.___	31.03.___
	Rs.	Rs.
B. LOAN, ADVANCES AND OTHER ASSETS: i. Loans: a. Secured		
Sub-Total of (a)		
b. Unsecured		
Sub-Total (i)		
ii. Advances:		
Sub-Total (ii)		
Sub-Total (III)		
TOTAL of B (I+II+III)		
TOTAL OF A+B		

Director

Schedule-9

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, ____________

Income and Expenditure Account

Particulars	31.03.___	31.03.___
	Rs.	Rs.
Balance as on 01.04.________		
Less: Met from NID's own Income		
Add: Current year's deficit (Plan Recurring)		
Less: Current year's surplus (Non-Plan Recurring)		
Deficit carried over to Balance Sheet		

Director

Schedule-10
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament
Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Fees

Particulars	20___-_____	20___-_____
	Rs.	Rs.
Total		

Director

Schedule-11
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Income from Project receipts/Grants(Non plan) & expenses from projects (Non Plan) 20___-20____

	20___-20____		20___-20____	
Particulars	Project Expenses	Project Receipts	Project Expenses	Project Receipts
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Total				

Director

Schedule-12
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament
Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _________
Transfers from Grants & Contributions

Particulars	20____-_____	20____-_____
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-13
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Interest earned

Particulars	20__-__	20__-__
(Other than directly credited to earmarked funds)	Rs.	Rs.
A) On term deposit		
Sub-Total (A)	0	0
B) On Saving/Current accounts		
C) On Loans		
Sub-Total (C)	0	0
Total of A+B+C	0	0

Director

Schedule-14
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament
Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______
Establishment expenses

					20__-__	20__-__
Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan recurring expenses			Total	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		R & D	Other	Total		
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Salaries, wages & allowances						
2. Provident fund contribution						
3. Gratuity contribution						
4. Medical reim. &staff welfare						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-15
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament
Other administrative expenses

					20__-___	20__-___
Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan Recurring Expenses			TOTAL	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		R & D	Other	Total		
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Travelling expenses						
2. Telephone, Telex, Postage						
3. Electricity expenses						
4. Maintenance: Mechanical, Electrical, Electronics						
5. Vehicle maintenance & Operation charges						
6. Material, Supplies Consumables etc.						
7. General Expenses for Satellite Centres						
8. Advertisement & Publicity expenses						
9. Welfare, Campus events & Other expenses						
10. Library, Journals, Periodical, Subscription etc.						
11. Student Freeship& Development						
12. Faculty, Staff HRD, Other Misc. expenses						
13. Rates, Taxes, Cesses						
14. Repairs & Maintenance						
15. Insurance						
16. Legal expenses & Professional fees						
17. Audit fees						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-16
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _________

Amount transferred to Reserve or Specific fund

Particulars	20__-__	20__-__
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-17
[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of balance sheet and income and expenditure account for the year ended 31st March, _______.

Notes forming part of accounts

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a. ACCOUNTING CONVENTION:

The Financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting except for interest income and liability towards privileged leave.

b. INVESTMENTS:

Long Term Investments are stated at cost.

c. FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at the cost. The cost includes invoice value, freight, octroi, and other incidental expenses relating acquisition.

d. GOVERNMENT GRANTS:

i. Government grants are accounted on the basis of sanction from Government Department.

ii. Government grant to the extent utilised towards capital expenditure, are transferred to the Capital Fund.

iii. Government grants for meeting Revenue expenditure are treated as income of the year to the extent of expenditure incurred.

iv. Utilized grants are carried forward and exhibited as a Liability in the balance Sheet.

e. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:

Transaction denominated in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction. The bank balance held in foreign currency is converted into Rupee at RBI rate prevailing on the closing day of the financial year.

f. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

g. INCOME TAX:

The income of the Institute is exempt under Income-tax Act 1961. No provision for Income Tax is therefore made in the accounts.

h. RETIREMENT/TERMINAL BENEFIT

Terminal leave encashment benefit to the employees is accounted for on cash basis. Gratuity is charged to Income &

Expenditure A/c on the basis Actuarial valuation and the same is contributed to the NID Employees' Gratuity Fund.

2. Contingent Liabilities Rs. __________ (Previous year Rs. _____________)

3. Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. ___________ Previous year Rs._______________)

4. Deficit for the year _____________ of Rs. _________________ (For the year____________ Rs. ________________) has been debited to misc. exps, as there is no specific govt. grant received for the same during the year.

5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged where ever necessary.

6. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

Place: ___________________

Date: ____________________

Director

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]
RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 821(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश में निदेशक के पद के लिए निम्नलिखित नियम, विनियम, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें बनाती ह, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 ह ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं -** (1) - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत ह ;

(ख) 'अध्यक्ष' से संस्थान की शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत ह ;

(ग) 'निदेशक' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत ह ;

(घ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश अभिप्रेत ह ;

(ङ) 'चयन समिति' से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के लिए गठित चयन समिति अभिप्रेत ह ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया ह, परंतु राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 में परिभाषित किया गया ह, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. **निदेशक की नियुक्ति के लिए शक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि--** कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसके पास -

(क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या डिजाइन में मास्टर डिग्री नहीं ह ;

(ख) उसके पास अध्यापन या उद्योग या अनुसंधान में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

(ग) उसके पास प्रौद्योगिकी या डिजाइन के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अभिज्ञता में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सिद्ध अभिलेख होना चाहिए ।

4. **नियुक्ति की पद्धति--** (1) निदेशक के पद पर भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी ।

(2) चयन समिति निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए इसकी अपनी प्रकिया का अनुसरण करेगी ।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित ह, विवाह किया ह ; या

ख. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया ह, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय ह और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय ह कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन ह, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **पदावधि-** निदेशक उस तारीख से, जब वह पद ग्रहण करता ह, पांच वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

8. **पद त्याग और समाप्ति-** (1) निदेशक यदि अपना पद त्यागना चाहता ह तो अध्यक्ष को लिखित रूप में तीन मास पूर्व नोटिस देगा :

परंतु जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्र पद त्याग अनुज्ञात नहीं किया जाता ह, तब तक निदेशक नोटिस की अवधि के अवसान तक या सम्यक् रूप से नियुक्त उसका प्राधिकारी पद ग्रहण नहीं करता ह या उसकी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

2) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को निदेशक के पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया घोषित किया गया ह ; या

(ख) उसे किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया ह, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित ह ; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से निदेशक के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हों, जो निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ; या

(ड.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया ह, जिससे कि उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया ह, या

(च) कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर :

परंतु निदेशक को उसके पद से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी समिति द्वारा जांच करवाए बिना खंड (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं हटाया जाएगा ।

9. **मुख्यालय या तनाती का स्थान –** निदेशक का मुख्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में होगा।

10. **निदेशक का वेतन, भत्ते, इत्यादि-** निदेशक का वेतन, वेतन-मैट्रिक्स (1,44,200-2,18,200 रुपए) के वेतन-स्तर 14 में निर्धारित किया जाएगा और वह ऐसे भत्तों व अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करेगा, जो भारत सरकार के समकक्ष रैंक के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हः

परन्तु यदि निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृति प्रसुविधाएं या सेवानिवृति प्रसुविधाओं के अन्य रूप, प्राप्त करता ह या प्राप्त कर चुका ह या प्राप्त करने का हकदार बना ह तो ऐसे निदेशक के वेतन मे से पेशंन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय या सेवानिवृति प्रसुविधाओं का कोई अन्य रूप, यदि कोई (उपदान के समान पेशंन के सिवाय) उसके द्वारा आहृत किया गया ह या आहृत किया जाना ह, घटाया जाएगाः

परन्तु यह और कि निदेशक की नियुक्ति के पश्चात न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसके अहितकर रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

11. **यात्रा भत्ता-** निदेशक, प्रवास पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अंतर्गत संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या संस्थान में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर प्रस्थान करने के लिए) यात्रा भत्ते इत्यादि का वैसे ही हकदार होगा, जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू होते हैं।

12. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी-** अध्यक्ष, निदेशक की छुट्टी मजूंर करने वाला प्राधिकारी होगा।

13. **विदेश में सरकारी यात्राएं-** निदेशक द्वारा विदेश में सरकारी यात्राएं केवल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएंगी, और वह ऐसी यात्रा के संबंध में ऐसे भत्ते, ऐसी दरों पर आहृत करने का हकदार होगा जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू हैं।

14. **चिकित्सा उपचार हेतु सुविधाएं-** निदेशक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रचालन में नहीं ह, वहां निदेशक केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम,1954 में यथाउपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा।

15. **आवास-** निदेशक केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथालागू निवासी आवास का हकदार होगा।

16. **वाहन की सुविधा-** निदेशक, भारत सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय वाहन सुविधा का हकदार होगा।

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V]

रविंद्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 821 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 18 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, regulating, the method of recruitment, salary, allowances, and other conditions of service for the post of Director in National Institute of Design, Madhya Pradesh, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Director, National Institute of Design, Madhya Pradesh (Recruitment, Salary, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Chairman' means the Chairman of the Governing Council of the Institute;

(c) 'Director' means the Director of the Institute;

(d) 'Institute' means the National Institute of Design, Madhya Pradesh;

(e) 'Selection Committee' means a selection committee constituted for the Institute by the Central Government under sub-section (2) of section 18 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the National Institute of Design Act, 2014 shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Educational qualifications, experience etc. for appointment of Director.-A person shall not be appointed as Director, unless he,-

(a) has Masters Degree in Engineering or Technology or Design;

(b) should have minimum of fifteen years' experience in teaching or Industry or Research;

(c) should have proven record of significant contributions made in the field of Technology or design with national or international exposure.

4. Method of Appointment.– (1) Recruitment to the post of Director shall be made by a Selection Committee constituted by the Central Government.

(2) The Selection Committee shall follow its own procedure for recommending a suitable person for the post of Director.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the competent authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Term of office.– The Director shall hold the office for a term of five years from the date on which he enters upon office or attains the age of sixty years which ever is earlier.

8. Resignation and termination. – (1) The Director shall give three months' prior notice in writing to the Chairman, if he intends to resign from the post:

Provided that the Director shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish the post sooner, continue to hold the post until the expiry of the period of notice or until the time a person duly appointed as his successor joins or until the expiry of his term, whichever is earlier.

(2) The Central Government may, remove a person from the post of Director,–

(a) who has been adjudged an insolvent; or

(b) who has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) who has become physically or mentally incapable of acting as Director; or

(d) who has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Director; or

(e) who has so abused his position as to render his continuance in the post prejudicial to the public interest, or

(f) on ground of misconduct, misbehavior or incapacity:

Provided that the Director shall not be removed on any of the grounds specified in clauses (b) to (f) without giving him a reasonable opportunity of being heard and holding an enquiry in this regard by a Committee constituted by the Central Government.

9. Head Quarter or place of posting.– The headquarter of the Director shall be at Bhopal, Madhya Pradesh.

10. Salary, allowances etc. of the Director.– The Director's pay shall be fixed in level 14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200) plus allowances and other benefits, as are admissible to an officer of equivalent rank in the Government of India:

Provided that in case a person appointed as a Director, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, the pay of such Director shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Director shall be varied to the disadvantage after his appointment.

11. Travelling Allowances.– The Director, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Institute or on the expiry of his term with the Institute to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance etc., as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

12. Leave Sanctioning Authority.– The Chairman shall be the leave sanctioning authority of Director.

13. Official visits abroad.– Official visits abroad by the Director shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Chairman and with the approval of Central Government, and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits at the same rates as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

14. Facility for medical treatment.– The Director shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Health Services and in places where Central Health Services are not in operation, Director shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

15. Accommodation.– The Director shall be entitled for residential accommodation as applicable to an officer of equal status of the Central Government.

16. Facility of conveyance.– The Director shall be entitled for conveyance facilities as admissible to an officer of equal status of the Government of India.

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]

RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 822 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती ह, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश (लेखाओं का वार्षिक विवरण के प्ररूप) नियम, 2020 ह ।

   (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत ह;

   (ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत ह;

   (ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत ह;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके अधिनियम में हैं।

3. **उचित लेखाओं और अभिलेखों का रख-रखाव**:-(1) संस्थान अपने लेखाओं और अभिलेखों का वित्तीय विवरण इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में रखेगा ।

(2) संस्थान, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके वित्तीय विवरण रखने में केन्द्रीय सरकार के सामान्य निदेशों का पालन करेगा ।

4. संस्थान के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार और सुपुर्द करना:- (1) संस्थान अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र वित्तीय परिणाम दर्शित करते हुए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' के अनुसार तैयार करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष, 31 जुलाई के पश्चात नहीं, संस्थान के वार्षिक लेखाओं का विवरण और तुलनपत्र निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और शासी परिषद् द्वारा पारित भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा ।

(3) भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक द्वारा संस्थान के यथा सत्यापित विधिवत् रूप से लेखा-परीक्षित खातों के वार्षिक विवरण सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशक द्वारा अनुगामी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ताकि इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(4) लेखाओं के बहीखाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखे जाएंगे ।

5. भारत सरकार से प्राप्त कोषों का अलग बही खाता- भारत सरकार से प्राप्त सभी निधियों के लिए संस्थान अलग बही खाता रखेगा और संस्थान ऐसे अनुदान उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेखाओं का बही खाता रखेगा ।

प्ररूप 'क'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तुलनपत्र,31 मार्च_______________की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	31.03._______	31.03._______
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजीगत निधि	1.		
मूल्यह्रास निधि:	6.		
निर्धारित धनराशि:	2.		
अनुदान और अभिदान:	3.		
नए एनआईडी के लिए अनुदान	4.		
वर्तमान दायित्व:	5.		
कुल		0	0
संपत्ति			
अचल संपत्ति: (कीमत पर)	6.		

निवेश: (कीमत पर)	7.		
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि .:	8.		
आय और व्यय खाता	9.		
कुल		0	0

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान:

तारीख:

निदेशक

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31 मार्च को समाप्त के लिए आय और व्यय लेखा _________

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
फीस:	10.		
सेवा प्रभार:	11.		
अनुदान:	12.		
अर्जित ब्याज:	13.		
अन्य आय:	1.		
पूंजीगत निधि से स्थानांतरित मूल्यह्रास की हद तक:			
कुल (क)		0	0
व्यय			
स्थापन व्यय:	14.		
अन्य प्रशासनिक व्यय:	15.		
परियोजनाओं पर खर्च:	11.		

ब्याज / बैंक प्रभार: मूल्यह्रास: (संदर्भ टिप्पण संख्या 1ङ.) विनिर्दिष्ट निधियों को अंतरित रकम:	6. 16.		
कुल (ख)		0	0
घाटा होने के कारण तुलनपत्र को अग्रनीत (क-ख)	9.		

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान: ____________

तारीख: ______________

निदेशक

अनुसूची 1
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

पूंजीगत निधि

ब्यौरे	31.03.______	31.03.______
	रूपए	रूपए
क. पूंजीगत निधि 1-4 ------को अतिशेष		
क. जोड़ें: 1) अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानांतरित अनुदान राशि खाता		
ii) निर्माण खाते के अंतर्गत भवन के लिए विनियोग निधि से स्थानांतरित राशि		
iii) अनावर्ती व्यय के लिए अनुदान से अधिक की लागत से अधिक के कारण आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित राशि।		
ख. कम: संपत्ति पर मूल्यह्रास के विस्तार तक आय और व्यय लेखा में स्थानांतरित पूंजीगत निधियों से अर्जित	0	0
ग. कम: वर्ष के दौरान विक्रीत/त्यकत मशीनरी, उपस्कर और फर्नीचर के मूल्य का समायोजन		
उप-कुल (क)	0	0
• आरक्षित भूमि 1-4 -----------को अतिशेष		
कुल (क + ख)	0	0

निदेशक

अनुसूची 2
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निर्धारित निधियां

क्रम	निधियों का नाम	तारीख01.04	जमा किया	अन्य जमा	विकलित	संदर्भ टिप्पण	तारीख31.03-----को

संख्या		…. को आरंभिक अतिशेष	गया ब्याज		रकम		अंतिम अतिशेष
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	कुल योग	0	0	0	0	0	0
	पिछला वर्ष						

निदेशक

अनुसूची -3

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय

क्रम संख्या	लेखा नाम	तारीख01.04…. को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया अनुदान	विकलित रकम			संदर्भ टिप्पण	31.03--- को अंतिम अतिशेष
				अनावर्ती व्यय	आय और व्यय लेखा को अंतरित	अन्य विकलित		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए		रूपए
	कुल	0	0	0	0	0		0
	पूर्ववर्ती वर्ष							

निदेशक

अनुसूची – 4

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	लेखा का नाम	31.03---तक जमा अनुदान	31.03---तक उपयोग किए गए अनुदान	01.04--- तक आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान जमा अनुदान	कुल	विकलित रकम			31.03-- को अंतिम अतिशेष
							अनावर्ती व्यय	विनिर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी /एनबीसीसी को अंतरित	अन्य विकलित	
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	राष्ट्रीय डिजाइन नीति के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुदान योजना (अनावर्ती): नए एनआईडी परिसर स्थापित करना एनआईडी (मध्य प्रदेश)									
	कुल									
	पूर्ववर्ती वर्ष									

निदेशक

अनुसूची-5

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान दायित्व

ब्यौरे	31.03.______	31.03.______
	रूपए	रूपए
1. व्ययों के लिए		
2. किराया और अन्य जमाओं के लिए		
.3 विविध जमा अतिशेष के लिए		
4. जारी परियोजनाओं के लिए अग्रिम		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-6

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		01.04__को	जोड़	विक्रय / समायोजन	31.03_को	01.04_को	वर्ष के लिए	विक्रय / समायोजन	31.03_को	31.03_को	31.03_को
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
क.	स्थावर सम्पत्तियां										
1.	(I) भूमि										
	1 का उप कुल										
2.	एनआईडी परिसर के भवन										
	(1 + 2) का उप-कुल										
ख.	चल संपत्तियां										
1.	मशीनरी, उपस्कर और औजार										
2.	फर्नीचर और फिक्सचर										
3.	कंप्यूटर और पैरीफरल्स										
4.	स्टाफ पूल यान										
5.	पुस्तकालय पुस्तकें										
	ख के उप कुल										
ग.	जारी पूंजीगत कार्य										
	ग के उप कुल										
	कुल योग										
	पूर्ववर्ती वर्ष										

निदेशक

अनुसूची-7

[नियम 4 का (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निवेश (लागत पर)

ब्यौरे	31.03.___	31.03.____
दीर्घकालिक	रूपए	रूपए
बांड्स के साथ स्थिर जमा		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची -8
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान आस्तियां,ऋण, अग्रिम आदि

ब्यौरे	31.03.____	31.03.____
	रूपए	रूपए
क. वर्तमान आस्तियां: i) संपत्ति सूची: सिविल और पूंजीगत माल (लागत पर)		
ii) नकद अतिशेष		
iii) बैंक अतिशेष क) चालू खाते के साथ		
उप-कुल (क)		
ख) बचत खाते में		
उप-कुल (ख)		
उप-कुल (क) + (ख)		
ग) कॉल / सावधि जमा खाते में		
उप-कुल (ग)		
उप कुल - III (क + ख + ग)		
कुल (I + II + III)		

निदेशक

अनुसूची -8
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि ...

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां i. ऋण: क. प्रतिभूत		
(क) का उप-कुल		
ख. अप्रतिभूत		
उप-कुल (i)		
ii. अग्रिम:		
उप-कुल (ii)		
उप-कुल (III)		
ख के कुल (I + II + III)		
क + ख का कुल		

निदेशक

अनुसूची-9

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आय और व्यय लेखा

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
01.04 -----को अतिशेष		
कम: एनआईडी के स्वयं के आय का ब्यौरा		
जोड़ें: चालू वर्ष के घाटे (आवर्ती योजना)		
कम: मौजूदा वर्ष के अधिशेष (गैर-योजना आवर्ती)		
घाटे के बाद का अतिशेष		

निदेशक

अनुसूची-10

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

फीस

ब्यौरे	20___-_____	20___-_____

	रूपए	रूपए
कुल		

निदेशक

अनुसूची-11

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

परियोजना से आय प्राप्ति / अनुदान (गैर योजना) और परियोजनाओं से व्यय (गर योजना) 20 ___- 20____

	20___-20____		20___-20____	
ब्यौरे	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
कुल				

निदेशक

अनुसूची-12

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय से अंतरण

ब्यौरे	20____-_____	20____-_____
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-13

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अर्जित ब्याज

ब्यौरे	20__-__	20__-__
(सीधे निर्धारित धनराशि में जमा के अतिरिक्त)	रूपए	रूपए
क) सावधिक जमा पर		
उप-कुल (क)	0	0
ख) बचत/चालू खाता पर		
ग) ऋणों पर		
उप-कुल (सी)	0	0
क + ख + ग के कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-14

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थापन खर्च

					20__-__	20__-__
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. वेतन, मजदूरी और भत्ते						
2. भविष्य निधि अंशदान						
3 अंशदान योगदान						
4. मेडिकल प्रतिपूर्ति और कर्मचारिवृंद कल्याण						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-15

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

अन्य प्रशासनिक खर्च

					20__-___	20__-___
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना के आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. यात्रा खर्च						
2. टेलीफोन, टेलेक्स, डाक						
.3 बिजली खर्च						
4. रखरखाव: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स						
5. वाहन रखरखाव और ऑपरेशन शुल्क						
6. सामग्री, आपूर्ति उपभोग आदि						
7. सैटेलाइट केन्द्रों के लिए साधारण खर्चे						
8. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय						
9. कल्याण, परिसर में आयोजित इवेंट और अन्य व्यय						
10. पुस्तकालय, पत्रिकाओं, आवधिक, सदस्यता आदि						
11. छात्र फ्रीशिप एवं विकास						
12. शिक्षक, कर्मचारियों मानव संसाधन विकास, अन्य विविध व्यय						
13. दरें, कर, उपकर						
14. मरम्मत और रख रखाव						
15. बीमा						
16. विधिक खर्च और व्यावसायिक फीस						
17. लेखा परीक्षा फीस						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-16

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आरक्षित या विशिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि

ब्यौरे	20__-__	20__-__
	रूपए	रूपए

कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-17

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31मार्च को समाप्तवर्ष के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय खाता अनुसूची _______

लेखा के भागरूप में टिप्पण

1.महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

(क) लेखा कन्वेंशन:

वित्तीय कथन, ऐतिहासिक लागत कंवेंशन के आधार पर तैयार किए गए हैं, जब तक अन्यथा कही गई हो और ब्याज आय और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी के प्रति दायित्व के अलावा उपार्जन पद्धति पर लेखांकन की गई है।

(ख) विनिधान:

(ग) लंबी अवधि के विनिधान लागत पर कथन की गई है।

स्थावर संपत्तियां:

स्थावर संपत्तियां लागत से कथन की गई है। लागत में चालान मूल्य, माल ढुलाई, चुंगी, और अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक व्यय भी शामिल है।

(घ) सरकारी अनुदान:

(i) सरकारी अनुदान सरकारी विभाग से मंजूरी के आधार पर लेखांकित है।

(ii) पूंजीगत व्यय की ओर उपयोग करने के लिए सरकारी अनुदान, पूंजी निधि के लिए स्थानांतरित किए गए हैं।

(iii) राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुदान व्यय की सीमा तक खर्च करने के लिए वर्ष की आय के रूप में माना जाता है।

(iv) उपयोग किए गए अनुदान आगे अग्रेषित होता ह और तुलनपत्र में एक ऋण के रूप में प्रदर्शित होता ह.

(ड.) विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित होता है। बैंक बैलेंस विदेशी मुद्रा में धारित आरबीआई दर पर वित्तीय वर्ष के समापन के दिन प्रचलित दर से रुपया में बदल जाती है।

(च) चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम में कम से कम तुलनपत्रमें दिखाया कुल रकम के बराबर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम एक मूल्य है।

(छ) आय-कर:

संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त है। आय-कर के लिए कोई उपबंध इसलिए खातों में नहीं दिया गया है।

(ज) सेवानिवृत्ति / टर्मिनल लाभ

कर्मचारियों के लिए टर्मिनल छुट्टी नकदीकरण लाभ नकदी के आधार पर आधारित है। ग्रेच्युटी आधार बीमांकिक मूल्यांकन पर आय एवं व्यय खाता के लिए शुल्क लिया जाता ह और एक ही एनआईडी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि में योगदान देता है।

2.आकस्मिक देयताएं रुपए __________ (पिछले वर्ष रुपए _____________)

3.पूंजी खाते पर शेष अनुबंध की अनुमानित राशि निष्पादित की जाती ह और रुपये के लिए प्रदान नहीं गई है. ___________ पिछले वर्ष रुपए _______________)

4.वर्ष के लिए घाटा _____________ रुपए के लिए. वर्ष के लिए_________________ _____________ रुपए_______________) विविध खर्चों में डेबिट कर दिया गया ह, क्योंकि उसी वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट सरकार अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई है.

5.पिछले वर्ष के लिए इसी आंकड़े को फिर से पुन:समूहबद्ध / पुन: व्यवस्थित कर दिया गया ह, जहां कहीं आवश्यक है।

6.अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

स्थान: ___________________

तारीख: ___________________

निदेशक

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V]

रविंद्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 822(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 25 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the National Institute of Design, Madhya Pradesh (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**–(1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Form' means Form annexed to these rules;

(c) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Maintenance of proper accounts and records**.—(1) The Institute shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements annexed to these rules.

(2) The Institute shall follow the general directions by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.

4**. Preparation and submission of annual statement of accounts of the Institute.–** (1) The Institute shall prepare its annual statement of accounts and balance sheet showing the financial results as specified in Form 'A' and Form 'B' and the Schedules annexed to these rules.

(2) The annual statement of accounts and balance sheet of the Institute, duly authenticated by the Director and passed by the Governing Council shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 31st day of July every year.

(3) The duly audited annual statement of accounts of the Institute as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Director for every financial year to the Central Government by the 30th day of September of the following year for laying before the both Houses of Parliament.

(4) The books of Accounts will be maintained on the basis of double entry book keeping system.

5. **Separate ledger accounts for funds received from the Government of India**.—The Institute shall maintain separate ledger accounts for all funds received from the Government of India and maintain accounts of the Institute regarding proper utilisation of such grants.

Form 'A'

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, ________________

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	31.03._______	31.03._______
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND:	1		
DEPRECIATION FUND:	6		
EARMARKED FUNDS:	2		
GRANTS AND CONTRIBUTIONS:	3		

GRANTS FOR NEW NIDs	4		
CURRENT LIABILITIES:	5		
TOTAL		0	0
ASSETS			
FIXED ASSETS: (At Cost)	6		
INVESTMENTS: (At Cost)	7		
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.:	8		
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	9		
TOTAL		0	0

For Notes forming part of Accounts -17

Place_____________________
Date_____________________

Director

Form 'B'
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH
Institute of National Importance by an Act of Parliament

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, _________

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
FEES:	10		
SERVICE CHARGES:	11		
GRANTS:	12		
INTEREST EARNED:	13		
OTHER INCOME:			
TRANSFERRED FROM CAPITAL FUND TO THE EXTENT OF DEPRECIATION:	1		
TOTAL (A)		0	0
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES:	14		

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES:	15		
EXPENSES ON PROJECTS:	11		
INTEREST/BANK CHARGES:			
DEPRECIATION: (Ref. Note no. 1e)	6		
AMOUNT TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS:	16		
TOTAL (B)		0	0
BALANCE BEING DEFICIT CARRIED OVER TO BALANCE SHEET (A-B)	9		

For NOTES forming part of Accounts, see Schedule - 17

Place: _____________
Date: ______________

Director

Schedule–1
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ________________

CAPITAL FUND

Particulars	31.03._______	31.03._______
	Rs.	Rs.
a. Capital Fund Balance as on 1-4-_________		
a. Add:i) Amount transferred from Central Govt. Grants Account for meeting Non-recurring expenditure		
ii) Amount transferred from Appropriation of fund for Building under construction Account		
iii) Amount transferred from Income & Expenditure A/c. on account of excess of cost over grant for Non-Recurring Expenditure		
b. Less: Transferred to Income & Expenditure Account to the extent of depreciation on assets acquired out of Capital Funds	0	0
c. Less: Adjustment of the value of Machinery, Equipment & Furniture sold/discard during the year.		
Sub-Total (a.)	0	0
b. Land Reserve Balance as on 1-4-_________		
Total (a+b)	0	0

Director

Schedule–2

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _______________

EARMARKED FUNDS

Sr. No.	Name of funds	Opening balance as on 01.04.____	Interest credited	Other credited	Amount debited	Ref. Note	Closing balance as on 31.03.___
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Grand total	0	0	0	0	0	0
	Previous year						

Director

Schedule-3

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, ________

GRANTS AND CONTRIBUTIONS

Sr. No.	Name of account	Opening balance as on 01.04.___	Grant credited	Amount debited			Ref. Note	Closing Balance As on 31.03._____
				Non recurring Exps	Transferred to I & E A/c.	Other debited		
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.
	Total	0	0	0	0	0		0
	Previous year							

Director

Schedule-4

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ________________

Sr. No.	Name of account	Grant credited up to 31.03.____	Grant utilised up to 31.03.____	Opening balance as on 01.04.____	Grant credited during the year	Total	Amount debited			Closing balance As on 31.03.__
							Non-recurring Exps	Transferred to CPWD/NBCC for Const. work	Other debited	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Central Govt. Grant Plan (non-recurring) for implementation of national Design Policy: Setting up of new NID Campuses of NID(Madhya Pradesh)									
	Total									
	Previous year									

Director

Schedule-5

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ______________

Current Liabilities

Particulars	31.03.______	31.03.______
	Rs.	Rs.
1. For expenses		
2. For rent & other deposits		
3. For sundry credit balances		
4. For advance for projects in progress		
Total	0	0

Director

Schedule-6

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Fixed Assets

Sr. No.	Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		As on 01.04.____	Addition	Sale/Adjustment	As on 31.03.___	As on 01.04.___	For the Year	Sale/Adjustment	As on 31.03.__	As on 31.03.__	As on 31.03._ _
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A	IMMOVABLE PROPERTIES										
1	(i) Land										
	Sub-total of 1										
2	NID campus buildings										
	Sub-total of (1+2)										
B	MOVABLE PROPERTIES										
1	Machinery, equipment& tools										
2	Furniture & fixtures										
3	Computers & peripherals										
4	Staff pool vehicles										
5	Library books										
	Sub-Total of B										
C	Capital works in progress										
	Sub-Total of C										
	Grand Total										
	PREVIOUS YEAR										

Director

Schedule-7

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, __________

Investments (At cost)

Particulars	31.03.___	31.03.____
Long Term	Rs.	Rs.
Fixed Deposits with Bonds		
TOTAL	0	0

Director

Schedule-8

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.____	31.03.____
	Rs.	Rs.
A. CURRENT ASSETS: i) INVENTORIES: Civil and Capital Materials (At Cost)		
ii) CASH BALANCES ON HAND		
iii) BANK BALANCES a) In Current account with		
Sub-Total (a)		
b) In Saving account with		
Sub-Total (b)		
Sub-Total (a)+(b)		
c) In Call/Term Deposit account with		
Sub-Total (c)		
Sub-Total – III (a+b+c)		
Total (I+II+III)		

Director

Schedule-8

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.___	31.03.___
	Rs.	Rs.
B. LOAN, ADVANCES AND OTHER ASSETS: i. Loans: a. Secured		
Sub-Total of (a)		
b. Unsecured		
Sub-Total (i)		
ii. Advances:		
Sub-Total (ii)		
Sub-Total (III)		
TOTAL of B (I+II+III)		
TOTAL OF A+B		

Director

Schedule-9

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, ____________

Income and Expenditure Account

Particulars	31.03.___	31.03.___
	Rs.	Rs.
Balance as on 01.04.________		
Less: Met from NID's own Income		
Add: Current year's deficit (Plan Recurring)		
Less: Current year's surplus (Non-Plan Recurring)		
Deficit carried over to Balance Sheet		

Director

Schedule-10

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Fees

Particulars	20___-_____	20___-_____
	Rs.	Rs.

Total		

Director

Schedule-11

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Income from Project receipts/Grants(Non plan) & expenses from projects (Non Plan) 20___-20____

	20___-20____		20___-20____	
Particulars	Project Expenses	Project Receipts	Project Expenses	Project Receipts
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Total				

Director

Schedule-12

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _________

Transfers from Grants & Contributions

Particulars	20____-_____	20____-_____
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-13

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Interest earned

Particulars	20__-__	20__-__
(Other than directly credited to earmarked funds)	Rs.	Rs.
A) On term deposit		
Sub-Total (A)	0	0
B) On Saving/Current accounts		
C) On Loans		
Sub-Total (C)	0	0
Total of A+B+C	0	0

Director

Schedule-14

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Establishment expenses

					20__-__	20__-__
Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan recurring expenses			Total	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		R & D	Other	Total		
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Salaries, wages & allowances						
2. Provident fund contribution						
3. Gratuity contribution						
4. Medical reim. &staff welfare						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-15

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Other administrative expenses

			20__	20__-___
Particulars	Non-Plan	Plan Recurring	TOTAL	Total of

	recurring expenses	Expenses R & D	Other	Total		Non-Plan and Plan recurring expenses
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Travelling expenses						
2. Telephone, Telex, Postage						
3. Electricity expenses						
4. Maintenance: Mechanical, Electrical, Electronics						
5. Vehicle maintenance & Operation charges						
6. Material, Supplies Consumables etc.						
7. General Expenses for Satellite Centres						
8. Advertisement & Publicity expenses						
9. Welfare, Campus events & Other expenses						
10. Library, Journals, Periodical, Subscription etc.						
11. Student Freeship& Development						
12. Faculty, Staff HRD, Other Misc. expenses						
13. Rates, Taxes, Cesses						
14. Repairs & Maintenance						
15. Insurance						
16. Legal expenses & Professional fees						
17. Audit fees						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-16

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _________

Amount transferred to Reserve or Specific fund

Particulars	20__-__	20__-__
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-17

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of balance sheet and income and expenditure account for the year ended 31st March, _______.

Notes forming part of accounts

6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a. ACCOUNTING CONVENTION:

The Financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting except for interest income and liability towards privileged leave.

b. INVESTMENTS:

Long Term Investments are stated at cost.

c. FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at the cost. The cost includes invoice value, freight, octroi, and other incidental expenses relating acquisition.

d. GOVERNMENT GRANTS:

i. Government grants are accounted on the basis of sanction from Government Department.
ii. Government grant to the extent utilised towards capital expenditure, are transferred to the Capital Fund.
iii. Government grants for meeting Revenue expenditure are treated as income of the year to the extent of expenditure incurred.
iv. Utilized grants are carried forward and exhibited as a Liability in the balance Sheet.

e. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:

Transaction denominated in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction. The bank balance held in foreign currency is converted into Rupee at RBI rate prevailing on the closing day of the financial year.

f. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

g. INCOME TAX:

The income of the Institute is exempt under Income-tax Act 1961. No provision for Income Tax is therefore made in the accounts.

h. RETIREMENT/TERMINAL BENEFIT

Terminal leave encashment benefit to the employees is accounted for on cash basis. Gratuity is charged to Income &
Expenditure A/c on the basis Actuarial valuation and the same is contributed to the NID Employees' Gratuity Fund.

2. Contingent Liabilities Rs. __________ (Previous year Rs. _____________)
3. Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. ___________ Previous year Rs._______________)

4. Deficit for the year ____________ of Rs. ________________ (For the year____________ Rs. ________________) has been debited to misc. exps, as there is no specific govt. grant received for the same during the year.
5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged where ever necessary.
6. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

Place: ____________________

Date: _____________________

Director

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]

RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 823(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा में निदेशक के पद के लिए निम्नलिखित नियम, विनियम, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें बनाती ह, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 ह ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत ह ;

(ख) 'अध्यक्ष' से संस्थान की शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत ह ;

(ग) 'निदेशक' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत ह ;

(घ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा अभिप्रेत ह ;

(ङ) 'चयन समिति' से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के लिए गठित चयन समिति अभिप्रेत ह ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया ह, परंतु राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 में परिभाषित किया गया ह, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. **निदेशक की नियुक्ति के लिए शक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि--** कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसके पास -

(क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या डिजाइन में मास्टर डिग्री नहीं ह ;

(ख) उसके पास अध्यापन या उद्योग या अनुसंधान में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

(ग) उसके पास प्रौद्योगिकी या डिजाइन के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अभिज्ञता में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सिद्ध अभिलेख होना चाहिए ।

4. **नियुक्ति की पद्धति--** (1) निदेशक के पद पर भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी ।

(2) चयन समिति निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए इसकी अपनी प्रकिया का अनुसरण करेगी ।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित ह, विवाह किया ह ; या

ख. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया ह, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय ह और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय ह कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन ह, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **पदावधि-** निदेशक उस तारीख से, जब वह पद ग्रहण करता ह, पांच वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

8. **पद त्याग और समाप्ति-** (1) निदेशक यदि अपना पद त्यागना चाहता ह तो अध्यक्ष को लिखित रूप में तीन मास पूर्व नोटिस देगा :

परंतु जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्र पद त्याग अनुज्ञात नहीं किया जाता ह, तब तक निदेशक नोटिस की अवधि के अवसान तक या सम्यक् रूप से नियुक्त उसका प्राधिकारी पद ग्रहण नहीं करता ह या उसकी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को निदेशक के पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया घोषित किया गया ह ; या

(ख) उसे किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया ह, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित ह ; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से निदेशक के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हों, जो निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ; या

(ड.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया ह, जिससे कि उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया ह, या

(च) कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर :

परंतु निदेशक को उसके पद से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी समिति द्वारा जांच करवाए बिना खंड (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं हटाया जाएगा ।

9. **मुख्यालय या तनाती का स्थान –** निदेशक का मुख्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा में होगा।

10. **निदेशक का वेतन, भत्ते, इत्यादि-** निदेशक का वेतन, वेतन-मैट्रिक्स (1,44,200-2,18,200 रुपए) के वेतन-स्तर 14 में निर्धारित किया जाएगा और वह ऐसे भत्तों व अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करेगा, जो भारत सरकार के समकक्ष रैंक के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हः

परन्तु यदि निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृति प्रसुविधाएं या सेवानिवृति प्रसुविधाओं के अन्य रूप, प्राप्त करता ह या प्राप्त कर चुका ह या प्राप्त करने का हकदार बना ह तो ऐसे निदेशक के वेतन मे से पेशंन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय या सेवानिवृति प्रसुविधाओं का कोई अन्य रूप, यदि कोई (उपदान के समान पेशंन के सिवाय) उसके द्वारा आहृत किया गया ह या आहृत किया जाना ह, घटाया जाएगाः

परन्तु यह और कि निदेशक की नियुक्ति के पश्चात न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसके अहितकर रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

11. **यात्रा भत्ता-** निदेशक, प्रवास पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अंतर्गत संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या संस्थान में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर प्रस्थान करने के लिए) यात्रा भत्ते इत्यादि का वैसे ही हकदार होगा, जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू होते हैं।

12. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी-** अध्यक्ष, निदेशक की छुट्टी मजूंर करने वाला प्राधिकारी होगा।

13. **विदेश में सरकारी यात्राएं-** निदेशक द्वारा विदेश में सरकारी यात्राएं केवल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी, और वह ऐसी यात्रा के संबंध में ऐसे भत्ते, ऐसी दरों पर आहृत करने का हकदार होगा जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू हैं।

14. **चिकित्सा उपचार हेतु सुविधाएं-** निदेशक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रचालन में नहीं ह, वहां निदेशक केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम,1954 में यथाउपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा।

15. आवास- निदेशक केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथालागू निवासी आवास का हकदार होगा।

16. वाहन की सुविधा- निदेशक, भारत सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय वाहन सुविधा का हकदार होगा।

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V]

रविंद्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 823(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 18 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, regulating, the method of recruitment, salary, allowances, and other conditions of service for the post of Director in the National Institute of Design, Haryana, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Director, National Institute of Design, Haryana (Recruitment, Salary, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Chairman' means the Chairman of the Governing Council of the Institute;

(c) 'Director' means the Director of the Institute;

(d) 'Institute' means the National Institute of Design, Haryana;

(e) 'Selection Committee' means a selection committee constituted for the Institute by the Central Government under sub-section (2) of section 18 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the National Institute of Design Act, 2014 shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Educational qualifications, experience etc. for appointment of Director**.- A person shall not be appointed as Director, unless he,-

(a) has Masters Degree in Engineering or Technology or Design;

(b) should have minimum of fifteen years' experience in teaching or Industry or Research;

(c) should have proven record of significant contributions made in the field of Technology or design with national or international exposure.

4. **Method of Appointment**.– (1) Recruitment to the post of Director shall be made by a Selection Committee constituted by the Central Government.

(2) The Selection Committee shall follow its own procedure for recommending a suitable person for the post of Director.

5. **Disqualification**.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the competent authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Term of office.–** The Director shall hold the office for a term of five years from the date on which he enters upon office or attains the age of sixty years, whichever is earlier.

8. **Resignation and termination.–** (1) The Director shall give three months' prior notice in writing to the Chairman, if he intends to resign from the post:

Provided that the Director shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish the post sooner, continue to hold the post until the expiry of the period of notice or until the time a person duly appointed as his successor joins or until the expiry of his term, whichever is earlier.

(2) The Central Government may, remove a person from the post of Director,-

(a) who has been adjudged an insolvent; or

(b) who has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) who has become physically or mentally incapable of acting as Director; or

(d) who has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Director; or

(e) who has so abused his position as to render his continuance in the post prejudicial to the public interest, or

(f) on ground of misconduct, misbehavior or incapacity:

Provided that the Director shall not be removed on any of the grounds specified in clauses (b) to (f) without giving him a reasonable opportunity of being heard and holding an enquiry in this regard by a Committee constituted by the Central Government.

9. **Head Quarter or place of posting**.– The headquarter of the Director shall be at Kurukshetra, Haryana.

10. Salary, allowances etc. of the Director.– The Director's pay shall be fixed in level 14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200) plus allowances and other benefits, as are admissible to an officer of equivalent rank in the Government of India:

Provided that in case a person appointed as a Director, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, the pay of such Director shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Director shall be varied to the disadvantage after his appointment.

11. **Travelling Allowances**.– The Director, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Institute or on the expiry of his term with the Institute to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance etc., as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

12. **Leave Sanctioning Authority**.– The Chairman shall be the leave sanctioning authority of Director.

13. Official visits abroad.– Official visits abroad by the Director shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Chairman and with the approval of Central Government, and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits at the same rates as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

14. **Facility for medical treatment**.– The Director shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Health Services and in places where Central Health Services are not in operation, Director shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

15. **Accommodation.–** The Director shall be entitled for residential accommodation as applicable to an officer of equal status of the Central Government.

16. **Facility of conveyance**.– The Director shall be entitled for conveyance facilities as admissible to an officer of equal status of the Government of India.

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]

RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 824(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती ह, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा (लेखाओं का वार्षिक विवरण के प्ररूप) नियम, 2020 ह ।

   (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं:**- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत ह;

   (ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत ह;

   (ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत ह;

   (घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके अधिनियम में हैं।

3. **उचित लेखाओं और अभिलेखों का रख-रखाव**:-(1) संस्थान अपने लेखाओं और अभिलेखों का वित्तीय विवरण इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में रखेगा ।

(2) संस्थान, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके वित्तीय विवरण रखने में केन्द्रीय सरकार के सामान्य निदेशों का पालन करेगा ।

4. **संस्थान के लेखाओं का वार्षिक विवरण तयार और सुपुर्द करना**:- (1) संस्थान अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र वित्तीय परिणाम दर्शित करते हुए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' के अनुसार तैयार करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष, 31 जुलाई के पश्चात नहीं, संस्थान के वार्षिक लेखाओं का विवरण और तुलनपत्र निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और शासी परिषद् द्वारा पारित भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा ।

(3) भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक द्वारा संस्थान के यथा सत्यापित विधिवत् रूप से लेखा-परीक्षित खातों के वार्षिक विवरण सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशक द्वारा अनुगामी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ताकि इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(4) लेखाओं के बहीखाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखे जाएंगे ।

5. **भारत सरकार से प्राप्त कोषों का अलग बही खाता-** भारत सरकार से प्राप्त सभी निधियों के लिए संस्थान अलग बही खाता रखेगा और संस्थान ऐसे अनुदान उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेखाओं का बही खाता रखेगा ।

प्ररूप 'क'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तुलनपत्र,31 मार्च_______________की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	31.03._______	31.03._______
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजीगत निधि	1.		
मूल्यह्रास निधि:	6.		
निर्धारित धनराशि:	2.		
अनुदान और अभिदान:	3.		
नए एनआईडी के लिए अनुदान	4.		
वर्तमान दायित्व:	5.		
कुल		0	0
संपत्ति			
अचल संपत्ति: (कीमत पर)	6.		
निवेश: (कीमत पर)	7.		
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि .:	8.		
आय और व्यय खाता			

	9.		
कुल		0	0

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान:
तारीख:

निदेशक

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31मार्च को समाप्त के लिए आय और व्यय लेखा _________

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
फीस:	10.		
सेवा प्रभार:	11.		
अनुदान:	12.		
अर्जित ब्याज:	13.		
अन्य आय:			
पूंजीगत निधि से स्थानांतरित मूल्यह्रास की हद तक:	1.		
कुल (क)		0	0
व्यय			
स्थापन व्यय:	14.		
अन्य प्रशासनिक व्यय:	15.		
परियोजनाओं पर खर्च:	11.		
ब्याज / बैंक प्रभार:			
मूल्यह्रास: (संदर्भ टिप्पण संख्या 1ड.)	6.		
विनिर्दिष्ट निधियों को अंतरित रकम:	16.		
कुल (ख)		0	0
घाटा होने के कारण तुलनपत्र को अग्रनीत (क-ख)	9.		

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान: _____________

तारीख: ______________

निदेशक

अनुसूची 1

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

पूंजीगत निधि

ब्यौरे	31.03._______	31.03._______
	रूपए	रूपए
क. पूंजीगत निधि 1-4 ------को अतिशेष		
क. जोड़ें: 1) अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानांतरित अनुदान राशि खाता		
ii) निर्माण खाते के अंतर्गत भवन के लिए विनियोग निधि से स्थानांतरित राशि		
iii) अनावर्ती व्यय के लिए अनुदान से अधिक की लागत से अधिक के कारण आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित राशि।		
ख. कम: संपत्ति पर मूल्यह्रास के विस्तार तक आय और व्यय लेखा में स्थानांतरित पूंजीगत निधियों से अर्जित	0	0
ग. कम: वर्ष के दौरान विक्रीत/त्यकत मशीनरी, उपस्कर और फर्नीचर के मूल्य का समायोजन		
उप-कुल (क)	0	0
• आरक्षित भूमि 1-4 -----------को अतिशेष		
कुल (क + ख)	0	0

निदेशक

अनुसूची 2

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निर्धारित निधियां

क्रम संख्या	निधियों का नाम	तारीख01.04 …. को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया ब्याज	अन्य जमा	विकलित रकम	संदर्भ टिप्पण	तारीख31.03-----को अंतिम अतिशेष
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए

	कुल योग	0	0	0	0	0	0
	पिछला वर्ष						

निदेशक

अनुसूची -3

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय

क्रम संख्या	लेखा नाम	तारीख01. 04…. को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया अनुदान	विकलित रकम			संदर्भ टिप्पण	31.03--- को अंतिम अतिशेष
				अनावर्ती व्यय	आय और व्यय लेखा को अंतरित	अन्य विकलित		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए		रूपए
	कुल	0	0	0	0	0		0
	पूर्ववर्ती वर्ष							

निदेशक

अनुसूची – 4

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	लेखा का नाम	31.03---तक जमा अनुदान	31.03---तक उपयोग किए गए अनुदान	01.04--- तक आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान जमा अनुदान	कुल	विकलित रकम			31.03-- को अंतिम अतिशेष
							अनावर्ती व्यय	विनिर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी /एनबीसीसी को अंतरित	अन्य विकलित	
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	राष्ट्रीय डिजाइन नीति के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुदान योजना (अनावर्ती): नए एनआईडी परिसर स्थापित करना एनआईडी									

	(हरियाणा)										
	कुल										
	पूर्ववर्ती वर्ष										

निदेशक

अनुसूची-5
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान दायित्व

ब्यौरे	31.03.______	31.03.______
	रूपए	रूपए
1. व्ययों के लिए		
2. किराया और अन्य जमाओं के लिए		
.3 विविध जमा अतिशेष के लिए		
4. जारीपरियोजनाओं के लिए अग्रिम		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-6
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		01.04__को	जोड़	विक्रय / समायोजन	31.03_को	01.04_को	वर्ष के लिए	विक्रय / समायोजन	31.03_को	31.03_को	31.03_को
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
क.	स्थावर सम्पत्तियां										
1.	(I) भूमि										
	1 का उप कुल										
2.	एनआईडी परिसर के भवन										
	(1 + 2) का उप-कुल										
ख.	चल संपत्तियां										
1.	मशीनरी, उपस्कर और औजार										

2.	फर्नीचर और फिक्सचर										
3.	कंप्यूटर और पैरीफरल्स										
4.	स्टाफ पूल यान										
5.	पुस्तकालय पुस्तकें										
	ख के उप कुल										
ग.	जारी पूंजीगत कार्य										
	ग के उप कुल										
	कुल योग										
	पूर्ववर्ती वर्ष										

निदेशक

अनुसूची-7

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निवेश (लागत पर)

ब्यौरे	31.03.___	31.03.____
दीर्घकालिक	रूपए	रूपए
बांड्स के साथ स्थिर जमा		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची -8

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान आस्तियां,ऋण, अग्रिम आदि

ब्यौरे	31.03.____	31.03.____
	रूपए	रूपए

क. वर्तमान आस्तियां: i) संपत्ति सूची: सिविल और पूंजीगत माल (लागत पर)		
ii) नकद अतिशेष		
iii) बैंक अतिशेष क) चालू खाते के साथ		
उप-कुल (क)		
ख) बचत खाते में		
उप-कुल (ख)		
उप-कुल (क) + (ख)		
ग) कॉल / सावधि जमा खाते में		
उप-कुल (ग)		
उप कुल - III (क + ख + ग)		
कुल (I + II + III)		

निदेशक

अनुसूची -8

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि ...

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां i. ऋण: क. प्रतिभूत		
(क) का उप-कुल		
ख. अप्रतिभूत		
उप-कुल (i)		
ii. अग्रिम:		
उप-कुल (ii)		
उप-कुल (III)		
ख के कुल (I + II + III)		
क + ख का कुल		

निदेशक

अनुसूची-9

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आय और व्यय लेखा

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
01.04 -----को अतिशेष		
कम: एनआईडी के स्वयं के आय का ब्यौरा		
जोड़ें: चालू वर्ष के घाटे (आवर्ती योजना)		
कम: मौजूदा वर्ष के अधिशेष (गैर-योजना आवर्ती)		
घाटे के बाद का अतिशेष		

निदेशक

अनुसूची-10

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

फीस

ब्यौरे	20___-_____	20___-_____
	रूपए	रूपए
कुल		

निदेशक

अनुसूची-11

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

परियोजना से आय प्राप्ति / अनुदान (गैर योजना) और परियोजनाओं से व्यय (गर योजना) 20 ___- 20____

	20___-20____		20___-20____	
ब्यौरे	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
कुल				

निदेशक

अनुसूची-12

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय से अंतरण

ब्यौरे	20___-____	20___-____
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-13

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अर्जित ब्याज

ब्यौरे	20__-__	20__-__
(सीधे निर्धारित धनराशि में जमा के अतिरिक्त)	रूपए	रूपए
क) सावधिक जमा पर		
उप-कुल (क)	0	0
ख) बचत/चालू खाता पर		
ग) ऋणों पर		
उप-कुल (सी)	0	0
क + ख + ग के कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-14

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थापन खर्च

					20__-__	20__-__
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. वेतन, मजदूरी और भत्ते						

2. भविष्य निधि अंशदान						
3 अंशदान योगदान						
4. मेडिकल प्रतिपूर्ति और कर्मचारिवृंद कल्याण						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-15

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

अन्य प्रशासनिक खर्च

					20__-___	20__-___
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना के आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. यात्रा खर्च						
2. टेलीफोन, टेलेक्स, डाक						
.3 बिजली खर्च						
4. रखरखाव: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स						
5. वाहन रखरखाव और ऑपरेशन शुल्क						
6. सामग्री, आपूर्ति उपभोग आदि						
7. सैटेलाइट केन्द्रों के लिए साधारण खर्चे						
8. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय						
9. कल्याण, परिसर में आयोजित इवेंट और अन्य व्यय						
10. पुस्तकालय, पत्रिकाओं, आवधिक, सदस्यता आदि						
11. छात्र फ्रीशिप एवं विकास						
12. शिक्षक, कर्मचारियों मानव संसाधन विकास, अन्य विविध व्यय						
13. दरें, कर, उपकर						
14. मरम्मत और रख रखाव						
15. बीमा						
16. विधिक खर्च और व्यावसायिक फीस						
17. लेखा परीक्षा फीस						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-16
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आरक्षित या विशिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि

ब्यौरे	20__-__	20__-__
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-17
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31मार्च को समाप्तवर्ष के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय खाता अनुसूची _______

लेखा के भागरूप में टिप्पण

1.महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

(क)लेखा कन्वेंशन:

वित्तीय कथन, ऐतिहासिक लागत कंवेंशन के आधार पर तैयार किए गए हैं, जब तक अन्यथा कही गई हो और ब्याज आय और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी के प्रति दायित्व के अलावा उपार्जन पद्धति पर लेखांकन की गई है।

(ख)विनिधान:

(ग)लंबी अवधि के विनिधान लागत पर कथन की गई है।

स्थावर संपत्तियां:

स्थावर संपत्तियां लागत से कथन की गई है। लागत में चालान मूल्य, माल ढुलाई, चुंगी, और अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक व्यय भी शामिल है।

(घ)सरकारी अनुदान:

(i) सरकारी अनुदान सरकारी विभाग से मंजूरी के आधार पर लेखांकित है।

(ii) पूंजीगत व्यय की ओर उपयोग करने के लिए सरकारी अनुदान, पूंजी निधि के लिए स्थानांतरित किए गए हैं।

(iii) राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुदान व्यय की सीमा तक खर्च करने के लिए वर्ष की आय के रूप में माना जाता है।

(iv) उपयोग किए गए अनुदान आगे अग्रेषित होता ह और तुलनपत्र में एक ऋण के रूप में प्रदर्शित होता ह.

(ड.)विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित होता है। बैंक बैलेंस विदेशी मुद्रा में धारित आरबीआई दर पर वित्तीय वर्ष के समापन के दिन प्रचलित दर से रुपया में बदल जाती है।

(च)चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम में कम से कम तुलनपत्रमें दिखाया कुल रकम के बराबर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम एक मूल्य है।

(छ)आय-कर:

संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त है। आय-कर के लिए कोई उपबंध इसलिए खातों में नहीं दिया गया है।

(ज)सेवानिवृत्ति / टर्मिनल लाभ

कर्मचारियों के लिए टर्मिनल छुट्टी नकदीकरण लाभ नकदी के आधार पर आधारित है। ग्रेच्युटी आधार बीमांकिक मूल्यांकन पर आय एवं व्यय खाता के लिए शुल्क लिया जाता ह और एक ही एनआईडी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि में योगदान देता है।

2.आकस्मिक देयताएं रुपए __________ (पिछले वर्ष रुपए _____________)

3.पूंजी खाते पर शेष अनुबंध की अनुमानित राशि निष्पादित की जाती ह और रुपये के लिए प्रदान नहीं गई है. ___________ पिछले वर्ष रुपए _______________)

4.वर्ष के लिए घाटा _____________ रुपए के लिए. वर्ष के लिए_________________ _____________ रुपए______________) विविध खर्चों में डेबिट कर दिया गया ह, क्योंकि उसी वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट सरकार अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई है.

5.पिछले वर्ष के लिए इसी आंकड़े को फिर से पुन:समूहबद्ध / पुन: व्यवस्थित कर दिया गया ह, जहां कहीं आवश्यक है।

6.अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

स्थान: ___________________

तारीख: ___________________

निदेशक

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V]

रविंद्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020.

G.S.R. 824 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 25 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the National Institute of Design, Haryana (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) ‘Act’ means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Form' means Form annexed to these rules;

(c) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Maintenance of proper accounts and records**.—(1) The Institute shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements annexed to these rules.

(2) The Institute shall follow the general directions by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.

4. **Preparation and submission of annual statement of accounts of the Institute**.–(1) The Institute shall prepare its annual statement of accounts and balance sheet showing the financial results as specified in Form ‘A’ and Form ‘B’ and the Schedules annexed to these rules.

(2) The annual statement of accounts and balance sheet of the Institute, duly authenticated by the Director and passed by the Governing Council shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 31st day of July every year.

(3) The duly audited annual statement of accounts of the Institute as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Director for every financial year to the Central Government by the 30th day of September of the following year for laying before the both Houses of Parliament.

(4) The books of Accounts will be maintained on the basis of double entry book keeping system.

5. **Separate ledger accounts for funds received from the Government of India**.—The Institute shall maintain separate ledger accounts for all funds received from the Government of India and maintain accounts of the Institute regarding proper utilisation of such grants.

Form ‘A’
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, ________________

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	31.03._______	31.03._______

CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND:	1		
DEPRECIATION FUND:	6		
EARMARKED FUNDS:	2		
GRANTS AND CONTRIBUTIONS:	3		
GRANTS FOR NEW NIDs	4		
CURRENT LIABILITIES:	5		
TOTAL		0	0
ASSETS			
FIXED ASSETS: (At Cost)	6		
INVESTMENTS: (At Cost)	7		
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.:	8		
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	9		
TOTAL		0	0
For NOTES forming part of Accounts	17		
Place: _____________			
Date: ______________			

Director

Form 'B'
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, _________

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
FEES:	10		
SERVICE CHARGES:	11		
GRANTS:	12		
INTEREST EARNED:	13		
OTHER INCOME:			
TRANSFERRED FROM CAPITAL FUND	1		

TO THE EXTENT OF DEPRECIATION:			
TOTAL (A)		0	0
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES:	14		
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES:	15		
EXPENSES ON PROJECTS:	11		
INTEREST/BANK CHARGES:			
DEPRECIATION: (Ref. Note no. 1e)	6		
AMOUNT TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS:	16		
TOTAL (B)		0	0
BALANCE BEING DEFICIT CARRIED OVER TO BALANCE SHEET (A-B)	9		

For NOTES forming part of Accounts, see Schedule - 17

Place: _____________
Date: ______________

Director

Schedule–1

[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ________________

CAPITAL FUND

Particulars	31.03._______	31.03._______
	Rs.	Rs.
a. Capital Fund Balance as on 1-4-_________		
a. Add:i) Amount transferred from Central Govt. Grants Account for meeting Non-recurring expenditure		
ii) Amount transferred from Appropriation of fund for Building under construction Account		
iii) Amount transferred from Income & Expenditure A/c. on account of excess of cost over grant for Non-Recurring Expenditure		
b. Less: Transferred to Income & Expenditure Account to the extent of depreciation on assets acquired out of Capital Funds	0	0
c. Less: Adjustment of the value of Machinery, Equipment & Furniture sold/discard during the year.		

Sub-Total (a.)	0	0
b. Land Reserve Balance as on 1-4-_________		
Total (a+b)	0	0

Director

Schedule–2
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _______________

EARMARKED FUNDS

Sr. No.	Name of funds	Opening balance as on 01.04.____	Interest credited	Other credited	Amount debited	Ref. Note	Closing balance as on 31.03.___
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Grand total	0	0	0	0	0	0
	Previous year						

Director

Schedule-3
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, ________

GRANTS AND CONTRIBUTIONS

Sr. No.	Name of account	Opening balance as on 01.04.___	Grant credited	Amount debited			Ref. Note	Closing Balance As on 31.03._____
				Non recurring Exps	Transferred to I & E A/c.	Other debited		
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.

	Total	0	0	0	0	0		0
	Previous year							

Director

Schedule-4
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ________________

Sr. No.	Name of account	Grant credited up to 31.03.____	Grant utilised up to 31.03.____	Opening balance as on 01.04.____	Grant credited during the year	Total	Amount debited			Closing balance As on 31.03.__
							Non-recurring Exps	Transferred to CPWD/NBCC for Const. work	Other debited	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Central Govt. Grant Plan (non-recurring) for implementation of national Design Policy: Setting up of new NID campuses at NID(Haryana)									
	Total									
	Previous year									

Director

Schedule-5
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _______________

Current Liabilities

Particulars	31.03.______	31.03.______
	Rs.	Rs.
1. For expenses		
2. For rent & other deposits		
3. For sundry credit balances		
4. For advance for projects in progress		
Total	0	0

Director

Schedule-6
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Fixed Assets

Sr. No.	Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		As on 01.04.____	Addition	Sale/ Adjustment	As on 31.03.___	As on 01.04.___	For the Year	Sale/ Adjustment	As on 31.03.__	As on 31.03.__	As on 31.03.__
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A	IMMOVABLE PROPERTIES										
1	(i) Land										
	Sub-total of 1										
2	NID campus buildings										
	Sub-total of (1+2)										
B	MOVABLE PROPERTIES										
1	Machinery, equipment& tools										
2	Furniture & fixtures										
3	Computers & peripherals										
4	Staff pool vehicles										
5	Library books										
	Sub-Total of B										
C	Capital works in progress										
	Sub-Total of C										
	Grand Total										
	PREVIOUS YEAR										

Director

Schedule-7
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, __________

Investments (At cost)

Particulars	31.03.___	31.03.____
Long Term	Rs.	Rs.

Fixed Deposits with Bonds		
TOTAL	0	0

Director

Schedule-8
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ____________

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03._____	31.03._____
	Rs.	Rs.
A. CURRENT ASSETS: i) INVENTORIES: Civil and Capital Materials (At Cost)		
ii) CASH BALANCES ON HAND		
iii) BANK BALANCES a) In Current account with		
Sub-Total (a)		
b) In Saving account with		
Sub-Total (b)		
Sub-Total (a)+(b)		
c) In Call/Term Deposit account with		
Sub-Total (c)		
Sub-Total – III (a+b+c)		
Total (I+II+III)		

Director

Schedule-8
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ____________

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.____	31.03.____
	Rs.	Rs.
B. LOAN, ADVANCES AND OTHER ASSETS: i. Loans: a. Secured		
Sub-Total of (a)		
b. Unsecured		
Sub-Total (i)		

ii. Advances:		
Sub-Total (ii)		
Sub-Total (III)		
TOTAL of B (I+II+III)		
TOTAL OF A+B		

Director

Schedule-9
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, ____________

Income and Expenditure Account

Particulars	31.03.___	31.03.___
	Rs.	Rs.
Balance as on 01.04.________		
Less: Met from NID's own Income		
Add: Current year's deficit (Plan Recurring)		
Less: Current year's surplus (Non-Plan Recurring)		
Deficit carried over to Balance Sheet		

Director

Schedule-10
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Fees

Particulars	20___-_____	20___-_____
	Rs.	Rs.
Total		

Director

Schedule-11
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Income from Project receipts/Grants(Non plan) & expenses from projects (Non Plan) 20___-20____

	20___- 20____	20___- 20____

Particulars	Project Expenses	Project Receipts	Project Expenses	Project Receipts
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Total				

Director

Schedule-12
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Transfers from Grants & Contributions

Particulars	20____-_____	20____-_____
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-13
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Interest earned

Particulars	20__-__	20__-__
(Other than directly credited to earmarked funds)	Rs.	Rs.
A) On term deposit		
Sub-Total (A)	0	0
B) On Saving/Current accounts		
C) On Loans		
Sub-Total (C)	0	0
Total of A+B+C	0	0

Director

Schedule-14
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Establishment expenses

					20__-__	20__-__
Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan recurring expenses			Total	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		R & D	Other	Total		
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Salaries, wages & allowances						
2. Provident fund contribution						
3. Gratuity contribution						
4. Medical reim. &staff welfare						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-15

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Other administrative expenses

					20__-___	20__-___
Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan Recurring Expenses			TOTAL	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		R & D	Other	Total		
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Travelling expenses						
2. Telephone, Telex, Postage						
3. Electricity expenses						
4. Maintenance: Mechanical, Electrical, Electronics						
5. Vehicle maintenance & Operation charges						
6. Material, Supplies Consumables etc.						
7. General Expenses for Satellite Centres						
8. Advertisement & Publicity expenses						
9. Welfare, Campus events & Other expenses						
10. Library, Journals, Periodical, Subscription etc.						
11. Student Freeship& Development						
12. Faculty, Staff HRD, Other Misc. expenses						
13. Rates, Taxes, Cesses						
14. Repairs & Maintenance						
15. Insurance						
16. Legal expenses & Professional fees						
17. Audit fees						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-16
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _________

Amount transferred to Reserve or Specific fund

Particulars	20__-__	20__-__
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-17
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of balance sheet and income and expenditure account for the year ended 31st March, _______.

Notes forming part of accounts

6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a. ACCOUNTING CONVENTION:

The Financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting except for interest income and liability towards privileged leave.

b. INVESTMENTS:
Long Term Investments are stated at cost.

c. FIXED ASSETS:
Fixed Assets are stated at the cost. The cost includes invoice value, freight, octroi, and other incidental expenses relating acquisition.

d. GOVERNMENT GRANTS:

i. Government grants are accounted on the basis of sanction from Government Department.
ii. Government grant to the extent utilised towards capital expenditure, are transferred to the Capital Fund.
iii. Government grants for meeting Revenue expenditure are treated as income of the year to the extent of expenditure incurred.
iv. Utilized grants are carried forward and exhibited as a Liability in the balance Sheet.

e. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:
Transaction denominated in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction. The bank balance held in foreign currency is converted into Rupee at RBI rate prevailing on the closing day of the financial year.

f. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

g. INCOME TAX:

The income of the Institute is exempt under Income-tax Act 1961. No provision for Income Tax is therefore made in the accounts.

h. RETIREMENT/TERMINAL BENEFIT

Terminal leave encashment benefit to the employees is accounted for on cash basis. Gratuity is charged to Income &

Expenditure A/c on the basis Actuarial valuation and the same is contributed to the NID Employees' Gratuity Fund.

2. Contingent Liabilities Rs. __________ (Previous year Rs. _____________)
3. Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. ___________ Previous year Rs._______________)
4. Deficit for the year _____________ of Rs. _________________ (For the year____________ Rs. ________________) has been debited to misc. exps, as there is no specific govt. grant received for the same during the year.
5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged where ever necessary.
6. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

Place: ____________________

Date: _____________________

Director

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]
RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 825(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश में निदेशक के पद के लिए निम्नलिखित नियम, विनियम, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें बनाती ह, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 ह।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं -** (1) - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत ह ;

(ख) 'अध्यक्ष' से संस्थान की शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत ह ;

(ग) 'निदेशक' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत ह ;

(घ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश अभिप्रेत ह ;

(ङ) 'चयन समिति' से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के लिए गठित चयन समिति अभिप्रेत ह ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया ह, परंतु राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 में परिभाषित किया गया ह, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. **निदेशक की नियुक्ति के लिए शक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि--** कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसके पास -

(क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या डिजाइन में मास्टर डिग्री नहीं ह ;

(ख) उसके पास अध्यापन या उद्योग या अनुसंधान में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

(ग) उसके पास प्रौद्योगिकी या डिजाइन के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अभिज्ञता में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सिद्ध अभिलेख होना चाहिए ।

4. **नियुक्ति की पद्धति--** (1) निदेशक के पद पर भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी ।

(2) चयन समिति निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए इसकी अपनी प्रकिया का अनुसरण करेगी ।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित ह, विवाह किया ह ; या

ख. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया ह,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय ह और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय ह कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन ह, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **पदावधि-** निदेशक उस तारीख से, जब वह पद ग्रहण करता ह, पांच वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

8. **पद त्याग और समाप्ति-** (1) निदेशक यदि अपना पद त्यागना चाहता ह तो अध्यक्ष को लिखित रूप में तीन मास पूर्व नोटिस देगा :

परंतु जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्र पद त्याग अनुज्ञात नहीं किया जाता ह, तब तक निदेशक नोटिस की अवधि के अवसान तक या सम्यक् रूप से नियुक्त उसका प्राधिकारी पद ग्रहण नहीं करता ह या उसकी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

2) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को निदेशक के पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया घोषित किया गया ह ; या

(ख) उसे किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया ह, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित ह ; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से निदेशक के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हों, जो निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ; या

(ङ.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया ह, जिससे कि उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया ह, या

(च) कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर :

परंतु निदेशक को उसके पद से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी समिति द्वारा जांच करवाए बिना खंड (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं हटाया जाएगा।

9. **मुख्यालय या तनाती का स्थान –** निदेशक का मुख्यालय विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में होगा।

10. **निदेशक का वेतन, भत्ते, इत्यादि-** निदेशक का वेतन, वेतन-मैट्रिक्स (1,44,200-2,18,200 रुपए) के वेतन-स्तर 14 में निर्धारित किया जाएगा और वह ऐसे भत्तों व अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करेगा, जो भारत सरकार के समकक्ष रैंक के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हः

परन्तु यदि निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृति प्रसुविधाएं या सेवानिवृति प्रसुविधाओं के अन्य रूप, प्राप्त करता ह या प्राप्त कर चुका ह या प्राप्त करने का हकदार बना ह तो ऐसे निदेशक के वेतन मे से पेशंन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय या सेवानिवृति प्रसुविधाओं का कोई अन्य रूप, यदि कोई (उपदान के समान पेशंन के सिवाय) उसके द्वारा आहृत किया गया ह या आहृत किया जाना ह, घटाया जाएगाः

परन्तु यह और कि निदेशक की नियुक्ति के पश्चात न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसके अहितकर रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

11. **यात्रा भत्ता-** निदेशक, प्रवास पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अंतर्गत संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या संस्थान में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर प्रस्थान करने के लिए) यात्रा भत्ते इत्यादि का वैसे ही हकदार होगा, जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू होते हैं।

12. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी-** अध्यक्ष, निदेशक की छुट्टी मजूंर करने वाला प्राधिकारी होगा।

13. **विदेश में सरकारी यात्राएं-** निदेशक द्वारा विदेश में सरकारी यात्राएं केवल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएंगी, और वह ऐसी यात्रा के संबंध में ऐसे भत्ते, ऐसी दरों पर आहृत करने का हकदार होगा जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू हैं।

14. **चिकित्सा उपचार हेतु सुविधाएं-** निदेशक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रचालन में नहीं ह, वहां निदेशक केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम,1954 में यथाउपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा।

15. **आवास-** निदेशक केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथालागू निवासी आवास का हकदार होगा।

16. **वाहन की सुविधा-** निदेशक, भारत सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय वाहन सुविधा का हकदार होगा।

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V]

रविंद्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 825(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 18 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, regulating, the method of recruitment, salary, allowances, and other conditions of service for the post of Director in National Institute of Design, Andhra Pradesh, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Director, National Institute of Design, Andhra Pradesh (Recruitment, Salary, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Chairman' means the Chairman of the Governing Council of the Institute;

(c) 'Director' means the Director of the Institute;

(d) 'Institute' means the National Institute of Design, Andhra Pradesh;

(e) 'Selection Committee' means a selection committee constituted for the Institute by the Central Government under sub-section (2) of section 18 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the National Institute of Design Act, 2014 shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Educational qualifications, experience etc. for appointment of Director**.-A person shall not be appointed as Director, unless he,-

(a) has Masters Degree in Engineering or Technology or Design;

(b) should have minimum of fifteen years' experience in teaching or Industry or Research;

(c) should have proven record of significant contributions made in the field of Technology or design with national or international exposure.

4. **Method of Appointment**.– (1) Recruitment to the post of Director shall be made by a Selection Committee constituted by the Central Government.

(2) The Selection Committee shall follow its own procedure for recommending a suitable person for the post of Director.

5. **Disqualification**.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the competent authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Term of office**.– The Director shall hold the office for a term of five years from the date on which he enters upon office or attains the age of sixty years, whichever is earlier.

8. Resignation and termination.– (1) The Director shall give three months' prior notice in writing to the Chairman, if he intends to resign from the post:

Provided that the Director shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish the post sooner, continue to hold the post until the expiry of the period of notice or until the time a person duly appointed as his successor joins or until the expiry of his term, whichever is earlier.

(2) The Central Government may, remove a person from the post of Director, –

(a) who has been adjudged an insolvent; or

(b) who has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) who has become physically or mentally incapable of acting as Director; or

(d) who has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Director; or

(e) who has so abused his position as to render his continuance in the post prejudicial to the public interest, or

(f) on ground of misconduct, misbehavior or incapacity:

Provided that the Director shall not be removed on any of the grounds specified in clauses (b) to (f) without giving him a reasonable opportunity of being heard and holding an enquiry in this regard by a Committee constituted by the Central Government.

9**.** **Head Quarter or place of posting.–** The headquarter of the Director shall be at Vijayawada, Andhra Pradesh.

10. Salary, allowances etc. of the Director.– The Director's pay shall be fixed in level 14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200) plus allowances and other benefits, as are admissible to an officer of equivalent rank in the Government of India:

Provided that in case a person appointed as a Director, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, the pay of such Director shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Director shall be varied to the disadvantage after his appointment.

11. **Travelling Allowances**.– The Director, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Institute or on the expiry of his term with the Institute to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance etc., as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

12. **Leave Sanctioning Authority**.– The Chairman shall be the leave sanctioning authority of Director.

13. **Official visits abroad.–** Official visits abroad by the Director shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Chairman and with the approval of Central Government, and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits at the same rates as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

14. **Facility for medical treatment**.– The Director shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Health Services and in places where Central Health Services are not in operation, Director shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

15. **Accommodation**.– The Director shall be entitled for residential accommodation as applicable to an officer of equal status of the Central Government.

16**.** **Facility of conveyance**.– The Director shall be entitled for conveyance facilities as admissible to an officer of equal status of the Government. of India.

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]

RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 826(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती ह, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश (लेखाओं का वार्षिक विवरण के प्ररूप) नियम, 2020 ह ।

   (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत ह;

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत ह;

(ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत ह;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके अधिनियम में हैं।

3. **उचित लेखाओं और अभिलेखों का रख-रखाव**:-(1) संस्थान अपने लेखाओं और अभिलेखों का वित्तीय विवरण इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में रखेगा।

(2) संस्थान, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके वित्तीय विवरण रखने में केन्द्रीय सरकार के सामान्य निदेशों का पालन करेगा।

4. **संस्थान के लेखाओं का वार्षिक विवरण तयार और सुपुर्द करना**:- (1) संस्थान अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र वित्तीय परिणाम दर्शित करते हुए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' के अनुसार तैयार करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष, 31 जुलाई के पश्चात नहीं, संस्थान के वार्षिक लेखाओं का विवरण और तुलनपत्र निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और शासी परिषद् द्वारा पारित भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक द्वारा संस्थान के यथा सत्यापित विधिवत् रूप से लेखा-परीक्षित खातों के वार्षिक विवरण सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशक द्वारा अनुगामी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ताकि इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(4) लेखाओं के बहीखाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखे जाएंगे।

5. **भारत सरकार से प्राप्त कोषों का अलग बही खाता-** भारत सरकार से प्राप्त सभी निधियों के लिए संस्थान अलग बही खाता रखेगा और संस्थान ऐसे अनुदान उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेखाओं का बही खाता रखेगा।

प्ररूप 'क'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तुलनपत्र,31 मार्च_______________की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	31.03._______	31.03._______
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजीगत विधि	1.		
मूल्यह्रास निधि:	6.		
निर्धारित धनराशि:	2.		
अनुदान और अभिदान:	3.		
नए एनआईडी के लिए अनुदान	4.		

वर्तमान दायित्व:	5.		
कुल		0	0
संपत्ति अचल संपत्ति: (कीमत पर) निवेश: (कीमत पर) वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि .: आय और व्यय खाता	 6. 7. 8. 9.		
कुल		0	0

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान:

तारीख:

निदेशक

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31 मार्च को समाप्त के लिए आय और व्यय लेखा _________

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय फीस: सेवा प्रभार: अनुदान: अर्जित ब्याज: अन्य आय: पूंजीगत निधि से स्थानांतरित	 10. 11. 12. 13.		

मूल्यह्रास की हद तक:	1.		
कुल (क)		0	0
व्यय स्थापन व्यय: अन्य प्रशासनिक व्यय: परियोजनाओं पर खर्च: ब्याज / बैंक प्रभार: मूल्यह्रास: (संदर्भ टिप्पण संख्या 1ड.) विनिर्दिष्ट निधियों को अंतरित रकम:	 14. 15. 11. 6. 16.		
कुल (ख)		0	0
घाटा होने के कारण तुलनपत्र को अग्रनीत (क-ख)	9.		

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान: _____________

तारीख: ______________

निदेशक

अनुसूची 1

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

पूंजीगत निधि

ब्यौरे	31.03._______	31.03._______
	रूपए	रूपए
क. पूंजीगत निधि 1-4 ------को अतिशेष		

क. जोड़ें: 1) अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानांतरित अनुदान राशि खाता		
ii) निर्माण खाते के अंतर्गत भवन के लिए विनियोग निधि से स्थानांतरित राशि		
iii) अनावर्ती व्यय के लिए अनुदान से अधिक की लागत से अधिक के कारण आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित राशि।		
ख. कम: संपत्ति पर मूल्यह्रास के विस्तार तक आय और व्यय लेखा में स्थानांतरित पूंजीगत निधियों से अर्जित	0	0
ग. कम: वर्ष के दौरान विक्रीत/त्यकत मशीनरी, उपस्कर और फर्नीचर के मूल्य का समायोजन		
उप-कुल (क)	0	0
• आरक्षित भूमि 1-4 -----------को अतिशेष		
कुल (क + ख)	0	0

निदेशक

अनुसूची 2

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निर्धारित निधियां

क्रम संख्या	निधियों का नाम	तारीख01.04.... को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया ब्याज	अन्य जमा	विकलित रकम	संदर्भ टिप्पण	तारीख31.03----- को अंतिम अतिशेष
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	कुल योग	0	0	0	0	0	0
	पिछला वर्ष						

निदेशक

अनुसूची -3

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय

क्रम संख्या	लेखा नाम	तारीख01.04…. को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया अनुदान	विकलित रकम			संदर्भ टिप्पण	31.03--- को अंतिम अतिशेष
				अनावर्ती व्यय	आय और व्यय लेखा को अंतरित	अन्य विकलित		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए		रूपए
	कुल	0	0	0	0	0		0
	पूर्ववर्ती वर्ष							

निदेशक

अनुसूची – 4

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	लेखा का नाम	31.03--- तक जमा अनुदान	31.03--- तक उपयोग किए गए अनुदान	01.04---तक आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान जमा अनुदान	कुल	विकलित रकम			31.03--को अंतिम अतिशेष
							अनावर्ती व्यय	विनिर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी /एनबीसीसीको अंतरित	अन्य विकलित	
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	राष्ट्रीय डिजाइन नीति के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुदान योजना (अनावर्ती): नए									

	एनआईडी परिसर स्थापित करना एनआईडी (आंध्र प्रदेश)									
	कुल									
	पूर्ववर्ती वर्ष									

निदेशक

अनुसूची-5

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान दायित्व

ब्यौरे	31.03.______	31.03.______
	रूपए	रूपए
1. व्ययों के लिए		
2. किराया और अन्य जमाओं के लिए		
.3 विविध जमा अतिशेष के लिए		
4. जारीपरियोजनाओं के लिए अग्रिम		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-6

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		01.04__को	जोड़	विक्रय / समायोजन	31.03_को	01.04_को	वर्ष के लिए	विक्रय / समायोजन	31.03_को	31.03_को	31.03_को
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
क.	स्थावर सम्पत्तियां										
1.	(I) भूमि										

	1 का उप कुल										
2.	एनआईडी परिसर के भवन										
	(1 + 2) का उप-कुल										
ख.	चल संपत्तियां										
1.	मशीनरी, उपस्कर और औजार										
2.	फर्नीचर और फिक्सचर										
3.	कंप्यूटर और पैरीफरल्स										
4.	स्टाफ पूल यान										
5.	पुस्तकालय पुस्तकें										
	ख के उप कुल										
ग.	जारी पूंजीगत कार्य										
	ग के उप कुल										
	कुल योग										
	पूर्ववर्ती वर्ष										

निदेशक

अनुसूची-7

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निवेश (लागत पर)

ब्यौरे	31.03.___	31.03.____
दीर्घकालिक	रूपए	रूपए
बांड्स के साथ स्थिर जमा		

कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची -8

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान आस्तियां,ऋण, अग्रिम आदि

ब्यौरे	31.03.____	31.03.____
	रूपए	रूपए
क. वर्तमान आस्तियां: i) संपत्ति सूची: सिविल और पूंजीगत माल (लागत पर)		
ii) नकद अतिशेष		
iii) बैंक अतिशेष क) चालू खाते के साथ		
उप-कुल (क)		
ख) बचत खाते में		
उप-कुल (ख)		
उप-कुल (क) + (ख)		
ग) कॉल / सावधि जमा खाते में		
उप-कुल (ग)		
उप कुल - III (क + ख + ग)		
कुल (I + II + III)		

निदेशक

अनुसूची -8

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान आस्तियां,ऋण, अग्रिम आदि

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए

ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां i. ऋण: क. प्रतिभूत		
(क) का उप-कुल		
ख. अप्रतिभूत		
उप-कुल (i)		
ii. अग्रिम:		
उप-कुल (ii)		
उप-कुल (III)		
ख के कुल (I + II + III)		
क + ख का कुल		

निदेशक

अनुसूची-9

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आय और व्यय लेखा

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
01.04 -----को अतिशेष		
कम: एनआईडी के स्वयं के आय का ब्यौरा		
जोड़ें: चालू वर्ष के घाटे (आवर्ती योजना)		
कम: मौजूदा वर्ष के अधिशेष (गैर-योजना आवर्ती)		
घाटे के बाद का अतिशेष		

निदेशक

अनुसूची-10

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

फीस

ब्यौरे	20___-_____	20___-_____
	रूपए	रूपए
कुल		

निदेशक

अनुसूची-11

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

परियोजना से आय प्राप्ति / अनुदान (गैर योजना) और परियोजनाओं से व्यय (गैर योजना) 20 ___- 20____

	20___-20____		20___-20____	
ब्यौरे	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
कुल				

निदेशक

अनुसूची-12

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय से अंतरण

ब्यौरे	20____-_____	20____-_____
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-13

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ……………………को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अर्जित ब्याज

ब्यौरे	20__-__	20__-__
(सीधे निर्धारित धनराशि में जमा के अतिरिक्त)	रूपए	रूपए
क) सावधिक जमा पर		
उप-कुल (क)	0	0
ख) बचत/चालू खाता पर		
ग) ऋणों पर		
उप-कुल (सी)	0	0
क + ख + ग के कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-14

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ……………………को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थापन खर्च

			20__-__	20__-__
ब्यौरे	गैर-योजना	योजना आवर्ती खर्च	कुल	गैर-

	आवर्ती खर्च	अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		योजना और योजना आवर्ती खर्च का कुल
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. वेतन, मजदूरी और भत्ते						
2. भविष्य निधि अंशदान						
3 अंशदान योगदान						
4. मेडिकल प्रतिपूर्ति और कर्मचारिवृंद कल्याण						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-15

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

अन्य प्रशासनिक खर्च

					20__-___	20__-___
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना के आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. यात्रा खर्च						
2. टेलीफोन, टेलेक्स, डाक						
.3 बिजली खर्च						
4. रखरखाव: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स						
5. वाहन रखरखाव और ऑपरेशन शुल्क						
6. सामग्री, आपूर्ति उपभोग आदि						
7. सैटेलाइट केन्द्रों के लिए साधारण खर्चे						
8. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय						
9. कल्याण, परिसर में आयोजित इवेंट और अन्य व्यय						
10. पुस्तकालय, पत्रिकाओं, आवधिक, सदस्यता आदि						
11. छात्र फ्रीशिप एवं विकास						
12. शिक्षक, कर्मचारियों मानव संसाधन विकास,						

अन्य विविध व्यय						
13. दरें, कर, उपकर						
14. मरम्मत और रख रखाव						
15. बीमा						
16. विधिक खर्च और व्यावसायिक फीस						
17. लेखा परीक्षा फीस						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-16

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आरक्षित या विशिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि

ब्यौरे	20__-__	20__-__
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-17

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31मार्च को समाप्तवर्ष के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय खाता अनुसूची _______

लेखा के भागरूप में टिप्पण

1.महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

(क)लेखा कन्वेंशन:

वित्तीय कथन, ऐतिहासिक लागत कंवेंशन के आधार पर तैयार किए गए हैं, जब तक अन्यथा कही गई हो और ब्याज आय और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी के प्रति दायित्व के अलावा उपार्जन पद्धति पर लेखांकन की गई है।

(ख)विनिधान:

(ग)लंबी अवधि के विनिधान लागत पर कथन की गई है।

स्थावर संपत्तियां:

स्थावर संपत्तियां लागत से कथन की गई ह। लागत में चालान मूल्य, माल ढुलाई, चुंगी, और अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक व्यय भी शामिल ह।

(घ)सरकारी अनुदान:

(i) सरकारी अनुदान सरकारी विभाग से मंजूरी के आधार पर लेखांकित ह।

(ii) पूंजीगत व्यय की ओर उपयोग करने के लिए सरकारी अनुदान, पूंजी निधि के लिए स्थानांतरित किए गए हैं।

(iii) राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुदान व्यय की सीमा तक खर्च करने के लिए वर्ष की आय के रूप में माना जाता ह।

(iv) उपयोग किए गए अनुदान आगे अग्रेषित होता ह और तुलनपत्र में एक ऋण के रूप में प्रदर्शित होता ह.

(ड.)विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित होता ह। बैंक बैलेंस विदेशी मुद्रा में धारित आरबीआई दर पर वित्तीय वर्ष के समापन के दिन प्रचलित दर से रुपया में बदल जाती है।

(च)चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम में कम से कम तुलनपत्रमें दिखाया कुल रकम के बराबर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम एक मूल्य है।

(छ)आय-कर:

संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त ह। आय-कर के लिए कोई उपबंध इसलिए खातों में नहीं दिया गया ह।

(ज)सेवानिवृत्ति / टर्मिनल लाभ

कर्मचारियों के लिए टर्मिनल छुट्टी नकदीकरण लाभ नकदी के आधार पर आधारित है। ग्रेच्युटी आधार बीमांकिक मूल्यांकन पर आय एवं व्यय खाता के लिए शुल्क लिया जाता ह और एक ही एनआईडी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि में योगदान देता ह।

2.आकस्मिक देयताएं रुपए __________ (पिछले वर्ष रुपए _____________)

3.पूंजी खाते पर शेष अनुबंध की अनुमानित राशि निष्पादित की जाती ह और रुपये के लिए प्रदान नहीं गई है. ___________ पिछले वर्ष रुपए _______________)

4.वर्ष के लिए घाटा _____________ रुपए के लिए. वर्ष के लिए_________________ _____________ रुपए_______________) विविध खर्चों में डेबिट कर दिया गया ह, क्योंकि उसी वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट सरकार अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई ह.

5.पिछले वर्ष के लिए इसी आंकड़े को फिर से पुन:समूहबद्ध / पुन: व्यवस्थित कर दिया गया ह, जहां कहीं आवश्यक है।

6.अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया ह।

स्थान: ____________________

तारीख: : ____________________

निदेशक

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V]

रविंद्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 826(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 25 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the National Institute of Design, Andhra Pradesh (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**– (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) ‘Act’ means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Form' means Form annexed to these rules;

(c) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Maintenance of proper accounts and records.**—(1) The Institute shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements annexed to these rules.

(2) The Institute shall follow the general directions by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.

4. **Preparation and submission of annual statement of accounts of the Institute.**– (1) The Institute shall prepare its annual statement of accounts and balance sheet showing the financial results as specified in Form 'A' and Form 'B' and the Schedules annexed to these rules.

(2) The annual statement of accounts and balance sheet of the Institute, duly authenticated by the Director and passed by the Governing Council shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 31st day of July every year.

(3) The duly audited annual statement of accounts of the Institute as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Director for every financial year to the Central Government by the 30th day of September of the following year for laying before the both Houses of Parliament.

(4) The books of Accounts will be maintained on the basis of double entry book keeping system.

5. **Separate ledger accounts for funds received from the Government of India.—**The Institute shall maintain separate ledger accounts for all funds received from the Government of India and maintain accounts of the Institute regarding proper utilisation of such grants.

Form 'A'

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, ________________

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	31.03._______	31.03._______
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND:	1		
DEPRECIATION FUND:	6		
EARMARKED FUNDS:	2		
GRANTS AND CONTRIBUTIONS:	3		
GRANTS FOR NEW NIDs	4		
CURRENT LIABILITIES:	5		
TOTAL		0	0
ASSETS			
FIXED ASSETS: (At Cost)	6		
INVESTMENTS: (At Cost)	7		
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.:	8		
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	9		
TOTAL		0	0

For NOTES forming part of Accounts-

Place: ______________

Date: _______________

Director

Form 'B'

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, _________

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
FEES:	10		
SERVICE CHARGES:	11		
GRANTS:	12		
INTEREST EARNED:	13		
OTHER INCOME:			
TRANSFERRED FROM CAPITAL FUND	1		
TO THE EXTENT OF DEPRECIATION:			
TOTAL (A)		0	0
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES:	14		
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES:	15		
EXPENSES ON PROJECTS:	11		
INTEREST/BANK CHARGES:			
DEPRECIATION: (Ref. Note no. 1e)	6		
AMOUNT TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS:	16		
TOTAL (B)		0	0
BALANCE BEING DEFICIT CARRIED OVER TO BALANCE SHEET (A-B)	9		

For NOTES forming part of Accounts, see Schedule - 17

Place: _____________

Date: ______________

Director

Schedule–1

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ________________

CAPITAL FUND

Particulars	31.03._______	31.03._______
	Rs.	Rs.
a. Capital Fund Balance as on 1-4-_________		
a. Add:i) Amount transferred from Central Govt. Grants Account for meeting Non-recurring expenditure		
ii) Amount transferred from Appropriation of fund for Building under construction Account		
iii) Amount transferred from Income & Expenditure A/c. on account of excess of cost over grant for Non-Recurring Expenditure		
b. Less: Transferred to Income & Expenditure Account to the extent of depreciation on assets acquired out of Capital Funds	0	0
c. Less: Adjustment of the value of Machinery, Equipment & Furniture sold/discard during the year.		
Sub-Total (a.)	0	0
b. Land Reserve Balance as on 1-4-_________		
Total (a+b)	0	0

Director

Schedule–2

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _______________

EARMARKED FUNDS

Sr. No.	Name of funds	Opening balance as on 01.04.____	Interest credited	Other credited	Amount debited	Ref. Note	Closing balance as on 31.03.___
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.

	Grand total	0	0	0	0	0	0
	Previous year						

Director

Schedule-3

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, ________

GRANTS AND CONTRIBUTIONS

Sr. No.	Name of account	Opening balance as on 01.04.___	Grant credited	Amount debited			Ref. Note	Closing Balance As on 31.03._____
				Non recurring Exps	Transferred to I & E A/c.	Other debited		
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.
	Total	0	0	0	0	0		0
	Previous year							

Director

Schedule-4

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ________________

Sr. No.	Name of account	Grant credited up to	Grant utilised up to	Opening balance as on	Grant credited during the	Total	Amount debited			Closing balance As on
							Non-	Transferred to CPWD/ NBCC	Other	

		31.03.____	31.03.____	01.04.____	year		recurring Exps	for Const. work	debited	31.03.__
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Central Govt. Grant Plan (non-recurring) for implementation of national Design Policy: Setting up of new NID campuses at									
	Total									
	Previous year									

Director

Schedule-5

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ______________

Current Liabilities

Particulars	31.03.______	31.03.______
	Rs.	Rs.
1. For expenses		
2. For rent & other deposits		
3. For sundry credit balances		
4. For advance for projects in progress		
Total	0	0

Director

Schedule-6

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Fixed Assets

Sr. No.	Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		As on 01.04.____	Addition	Sale/ Adjustment	As on 31.03.___	As on 01.04.___	For the Year	Sale/Adjustment	As on 31.03.__	As on 31.03.__	As on 31.03.__
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A	IMMOVABLE										

	PROPERTIES											
1	(i) Land											
	Sub-total of 1											
2	NID campus buildings											
	Sub-total of (1+2)											
B	MOVABLE PROPERTIES											
1	Machinery, equipment& tools											
2	Furniture & fixtures											
3	Computers & peripherals											
4	Staff pool vehicles											
5	Library books											
	Sub-Total of B											
C	Capital works in progress											
	Sub-Total of C											
	Grand Total											
	PREVIOUS YEAR											

Director

Schedule-7

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Investments (At cost)

Particulars	31.03.___	31.03.____
Long Term	Rs.	Rs.
Fixed Deposits with Bonds		
TOTAL	0	0

Director

Schedule-8

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ____________

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.____	31.03.____
	Rs.	Rs.
A. CURRENT ASSETS: i) INVENTORIES: Civil and Capital Materials (At Cost)		
ii) CASH BALANCES ON HAND		
iii) BANK BALANCES a) In Current account with		
Sub-Total (a)		
b) In Saving account with		
Sub-Total (b)		
Sub-Total (a)+(b)		
c) In Call/Term Deposit account with		
Sub-Total (c)		
Sub-Total – III (a+b+c)		

Total (I+II+III)		

Director

Schedule-8

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.___	31.03.___
	Rs.	Rs.
B. LOAN, ADVANCES AND OTHER ASSETS: i. Loans: a. Secured		
Sub-Total of (a)		
b. Unsecured		
Sub-Total (i)		
ii. Advances:		
Sub-Total (ii)		
Sub-Total (III)		
TOTAL of B (I+II+III)		
TOTAL OF A+B		

Director

Schedule-9

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, ____________

Income and Expenditure Account

Particulars	31.03.___	31.03.___
	Rs.	Rs.
Balance as on 01.04.________		
Less: Met from NID's own Income		
Add: Current year's deficit (Plan Recurring)		
Less: Current year's surplus (Non-Plan Recurring)		

Deficit carried over to Balance Sheet		

Director

Schedule-10

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, ___________

Fees

Particulars	20___-_____	20___-_____
	Rs.	Rs.
Total		

Director

Schedule-11

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Income from Project receipts/Grants(Non plan) & expenses from projects (Non Plan) 20___-20____

	20___-20____		20___-20____	
Particulars	Project Expenses	Project Receipts	Project Expenses	Project Receipts
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.

Total				

Director

Schedule-12

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, __________

Transfers from Grants & Contributions

Particulars	20____-_____	20____-_____
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-13

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, ________

Interest earned

Particulars	20__-__	20__-__
(Other than directly credited to earmarked funds)	Rs.	Rs.
A) On term deposit		
Sub-Total (A)	0	0
B) On Saving/Current accounts		
C) On Loans		
Sub-Total (C)	0	0
Total of A+B+C	0	0

Director

Schedule-14

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _______

Establishment expenses

					20__-__	20__-__
Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan recurring expenses			Total	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		R & D	Other	Total		
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Salaries, wages & allowances						
2. Provident fund contribution						
3. Gratuity contribution						
4. Medical reim. &staff welfare						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-15

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Other administrative expenses

					20__-___	20__-___
Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan Recurring Expenses			TOTAL	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		R & D	Other	Total		
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Travelling expenses						
2. Telephone, Telex, Postage						
3. Electricity expenses						

4. Maintenance: Mechanical, Electrical, Electronics						
5. Vehicle maintenance & Operation charges						
6. Material, Supplies Consumables etc.						
7. General Expenses for Satellite Centres						
8. Advertisement & Publicity expenses						
9. Welfare, Campus events & Other expenses						
10. Library, Journals, Periodical, Subscription etc.						
11. Student Freeship& Development						
12. Faculty, Staff HRD, Other Misc. expenses						
13. Rates, Taxes, Cesses						
14. Repairs & Maintenance						
15. Insurance						
16. Legal expenses & Professional fees						
17. Audit fees						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-16

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, __________

Amount transferred to Reserve or Specific fund

Particulars	20__-__	20__-__
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-17

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of balance sheet and income and expenditure account for the year ended 31st March, _______.

Notes forming part of accounts

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a. ACCOUNTING CONVENTION:

The Financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting except for interest income and liability towards privileged leave.

b. INVESTMENTS:

Long Term Investments are stated at cost.

c. FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at the cost. The cost includes invoice value, freight, octroi, and other incidental expenses relating acquisition.

d. GOVERNMENT GRANTS:

i. Government grants are accounted on the basis of sanction from Government Department.

ii. Government grant to the extent utilised towards capital expenditure, are transferred to the Capital Fund.

iii. Government grants for meeting Revenue expenditure are treated as income of the year to the extent of expenditure incurred.

iv. Utilized grants are carried forward and exhibited as a Liability in the balance Sheet.

e. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:

Transaction denominated in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction. The bank balance held in foreign currency is converted into Rupee at RBI rate prevailing on the closing day of the financial year.

f. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

g. INCOME TAX:

The income of the Institute is exempt under Income-tax Act 1961. No provision for Income Tax is therefore made in the accounts.

h. RETIREMENT/TERMINAL BENEFIT

Terminal leave encashment benefit to the employees is accounted for on cash basis. Gratuity is charged to Income &

Expenditure A/c on the basis Actuarial valuation and the same is contributed to the NID Employees' Gratuity Fund.

2. Contingent Liabilities Rs. ___________ (Previous year Rs. ______________)

3. Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. ____________ Previous year Rs.________________)

4. Deficit for the year ______________ of Rs. _____________________ (For the year_____________ Rs. _________________) has been debited to misc. exps, as there is no specific govt. grant received for the same during the year.

5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged where ever necessary.

6. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

Place: ____________________

Date: ______________________

Director

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]

RAVINDER, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.